

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-284

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन

284. श्री नलिन सोरेन:

श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में तापीय, जल, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से कुल कितनी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया गया है और इसका ऊर्जा स्रोत-वार और झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता देश में बिजली की वर्तमान और अनुमानित मांग तथा ऊर्जा की खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान चरम/अधिकतम मांग और आपूर्ति की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विशेषकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले सहित देश भर में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा के वितरण और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन" के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 284 के संबंध में भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) : पिछले पांच (5) वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के दौरान तापविद्युत, जलविद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न स्रोतों से देश में उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा का स्रोत-वार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

पिछले पाँच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (जनवरी, 2026 तक) के दौरान झारखंड राज्य सहित तापविद्युत, जलविद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है।

(ख) से (घ) : देश में विद्युत की वर्तमान और अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 520.511 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 296.388 गीगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है और देश को विद्युत की कमी वाले देश से विद्युत पर्याप्त देश में बदल दिया है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के लिए अधिकतम मांग और ऊर्जा आवश्यकता के संदर्भ में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध-III** पर संलग्न है। ये विवरण इंगित करते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति, ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप रही है और इसमें केवल मामूली अंतर है जो आम तौर पर राज्य के पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

मध्य प्रदेश राज्य में पिछले पाँच वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के लिए ऊर्जा आवश्यकता के संदर्भ में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध-IV** पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आपूर्ति की गई कुल विद्युत यूनिटों का विवरण **अनुबंध-V** पर संलग्न है।

20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2029-30 के लिए विद्युत की अधिकतम मांग और ऊर्जा की आवश्यकता क्रमशः 345 गीगावाट और 2388 बीयू होने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2031-32 के लिए विद्युत की अधिकतम मांग और ऊर्जा की आवश्यकता क्रमशः 388 गीगावाट और 2703 बीयू होने का अनुमान है।

देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. उत्पादन और भंडारण आयोजना:

- (i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से आगे रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन

पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो 10 वर्षीय गतिशील रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय आयोजना भी शामिल है।

- (ii) सभी राज्यों को सलाह दी गई कि वे अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताएं बनाने/अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू करें।
- (iii) विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किए हैं:

(क) वर्ष 2034-35 तक अनुमानित ताप (कोयला एवं लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट अनुमानित है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम 97,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई पहले शुरू की जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 से दिनांक 31.01.2026 तक लगभग 18,160 मेगावाट की ताप क्षमताएं पहले ही चालू हो चुकी हैं। इसके अलावा, 38,745 मेगावाट ताप क्षमता (4,845 मेगावाट संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं सहित) वर्तमान में निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट के अनुबंध अवाई किए गए हैं और इनका निर्माण होना बाकी है। इसके अतिरिक्त, देश में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 24,020 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में योजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 12,723.50 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 4,274 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं योजना के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता, योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 1,57,800 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता जिसमें 67,280 मेगावाट सौर, 6500 मेगावाट पवन और 60,040 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत निर्माणाधीन है, जबकि 35,440 मेगावाट सौर और 11,480 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 48,720 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता आयोजना के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 11,620 मेगावाट/69,720 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावाट-

घंटा क्षमता वाली पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को स्वीकृति प्रदान की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। वर्तमान में 9,653.94 मेगावाट/26,729.32 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) निर्माणाधीन हैं तथा 19,797.65 मेगावाट/61,013.40 मेगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता बोली के विभिन्न चरणों में हैं।

2. पारेषण आयोजना: अंतर्राज्यीय और अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के समतुल्य समय सीमा में इसका कार्यान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक की दस साल की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,274 जीवीए अंतरण क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

उपर्युक्त के अलावा, विद्युत मंत्रालय ने पारेषण लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिनांक 14.06.2024, 21.03.2025 और 15.12.2025 को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें भूमि दर को प्रचलित बाजार दर से जोड़ा गया है। ये दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में अधिक मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामियों से उत्पन्न होने वाली आरओडब्ल्यू संबंधी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हैं।

3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना:

- (i) दिनांक 30 जून, 2025 तक शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवाई होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है (इसके बाद जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी होगी)।
- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) नियमित रूप से आरई विद्युत की खरीद के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर रही हैं।
- (iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (v) तीव्र आरई ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना के संवर्धन हेतु, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (vi) नवीकरणीय विद्युत की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई अंतः-राज्यीय पारेषण लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।

- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय एवं पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (ix) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू होता है, उसके अनुपालन न करने पर शास्ति लगेगी।
- (x) “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति” जारी की गई है।
- (xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) लॉन्च किया गया है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल की आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम प्रारंभ की गई है।

पिछले पांच (5) वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के दौरान ताप विद्युत, जल विद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न स्रोतों से देश में उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा का स्रोत-वार ब्यौरा:

(सभी उत्पादन के आंकड़े मिलियन यूनिट (एमयू) में हैं)

ईंधन		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (जनवरी'26 तक)
ताप विद्युत	कोयला	9,50,937.55	10,41,487.43	11,45,907.58	12,60,902.62	12,98,872.29	10,31,882.53
	डीजल/एचएसडी	126.31	117.24	229.71	400.58	442.65	358.21
	लिग्नाइट	30,505.68	37,094.04	36,188.34	33,949.79	32,994.77	24,906.72
	मल्टी ईंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नैप्था	101.41	0.00	0.83	0.03	0.00	0.00
	प्राकृतिक गैस	50,842.59	36,015.77	23,884.21	31,295.91	31,580.05	22,764.15
ताप विद्युत कुल		10,32,513.54	11,14,714.48	12,06,210.67	13,26,548.93	13,63,889.76	10,79,911.61
न्यूक्लियर		43,029.08	47,112.06	45,861.09	47,937.41	56,680.83	45,193.67
कुल [पारंपरिक]		10,75,542.62	11,61,826.54	12,52,071.76	13,74,486.34	14,20,570.59	11,25,105.28
आरईएस (बड़ी जल विद्युत को छोड़कर)	पवन	60,149.95	68,640.07	71,814.16	83,385.35	83,347.19	95,586.95
	सौर	60,402.26	73,483.94	1,02,014.24	1,15,975.11	1,44,150.23	1,38,386.93
	बायोमास	3,512.98	3,482.70	3,161.32	3,417.19	3,738.67	3,377.60
	खोई	11,302.85	12,573.88	12,863.16	10,825.59	9,335.32	7,635.91
	लघु जल विद्युत	10,258.41	10,463.55	11,170.62	9,485.04	11,568.04	10,885.08
	अन्य	1,621.06	2,268.17	2,529.18	2,746.55	2,869.73	2,453.59
बड़ी जल विद्युत		1,50,299.52	1,51,627.33	1,62,098.77	1,34,053.92	1,48,633.98	1,50,039.12
कुल [नवीकरणीय]		2,97,547.03	3,22,539.63	3,65,651.45	3,59,888.75	4,03,643.16	4,08,365.18
भूटान से आयात		8,765.50	7,493.20	6,742.40	4,716.10	5,484.18	7,765.68
कुल योग		13,81,855.15	14,91,859.37	16,24,465.61	17,39,091.19	18,29,697.93	15,41,236.14

वर्ष 2020-21 के लिए झारखंड राज्य सहित ताप विद्युत, जल विद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न स्रोतों से स्रोत और राज्य-वार उत्पादन आंकड़े

(सभी उत्पादन के आंकड़े एमयू में हैं)

राज्य	ताप विद्युत					न्यूक्लियर	कुल पारंपरिक	नवीकरणीय								कुल योग
	कोयला	डीजल/एचएसडी	लिंगनाइट	नैफ्था	प्राकृतिक गैस			पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु जल विद्युत	बड़ी जल विद्युत	अन्य	कुल नवीकरणीय ऊर्जा	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	118.48	0.00	24.82	0.00	0.00	14.69	0.00	0.00	39.51	157.99
आंध्र प्रदेश	46,145.71	0.00	0.00	0.00	3,323.24	0.00	49,468.95	6,557.75	6,956.10	135.21	67.66	351.23	3,280.12	65.88	17,413.95	66,882.90
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.55	3,451.34	0.00	3,453.44	3,453.44
असम	2,976.74	0.00	0.00	0.00	2,721.40	0.00	5,698.14	0.00	13.37	0.00	0.00	38.15	270.87	0.00	322.38	6,020.52
बिहार	33,866.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,866.14	0.00	160.63	21.30	1.48	43.20	0.00	0.00	226.61	34,092.75
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	10.16
छत्तीसगढ़	1,34,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,34,614.50	0.00	370.80	1,089.32	28.25	145.52	419.19	0.00	2,053.08	1,36,667.58
दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96	11.96
दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04	40.04
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304.01	0.00	5,304.01	0.00	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	236.71	426.70	5,730.71
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46
गुजरात	71,637.55	0.00	5,421.24	0.00	18,877.21	3,712.96	99,648.96	13,058.52	4,633.81	43.15	19.37	211.94	4,233.36	10.61	22,210.75	1,21,859.71
हरियाणा	13,994.58	0.00	0.00	0.00	901.80	0.00	14,896.38	0.00	162.95	178.88	142.34	276.58	0.00	0.00	760.75	15,657.13
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52	0.00	0.00	2,123.78	37,473.47	0.00	39,633.77	39,633.77
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42	0.00	0.00	429.88	17,002.68	0.00	17,441.97	17,441.97
झारखंड	27,219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,219.97	0.00	17.16	0.00	0.00	9.31	223.09	0.00	249.56	27,469.53
कर्नाटक	19,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093.92	26,955.16	9,610.91	13,238.86	211.79	2,589.09	2,199.68	12,587.35	0.00	40,437.68	67,392.84
केरल	0.00	7.83	0.00	101.41	0.00	0.00	109.24	130.42	275.44	0.00	45.68	640.58	6,628.39	0.01	7,720.51	7,829.75
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.21	0.00	376.21	376.21
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45
मध्य प्रदेश	1,23,089.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,23,089.78	3,913.45	4,202.03	0.48	82.57	281.76	6,477.33	37.57	14,995.19	1,38,084.97
महाराष्ट्र	98,173.83	0.00	0.00	0.00	5,963.43	7,886.62	1,12,023.88	6,384.74	3,089.46	328.23	3,627.43	802.71	5,548.46	0.10	19,781.13	1,31,805.01
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	621.62	0.00	629.33	629.33
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.79	1,151.99	0.00	1,208.78	1,208.78
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	31.07	158.85	0.00	192.37	192.37
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.77	203.86	0.00	273.63	273.63
ओडिशा	55,206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,206.47	0.00	476.26	42.71	0.00	358.80	6,859.97	0.00	7,737.74	62,944.21
पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	232.15	0.00	232.15	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	238.54
पंजाब	17,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,994.79	0.00	1,356.48	585.99	231.50	690.33	4,747.03	0.17	7,611.50	25,606.29
राजस्थान	36,738.05	0.00	8,478.53	0.00	1,018.69	7,386.05	53,621.32	5,708.27	10,384.24	413.24	0.00	10.64	469.63	0.00	16,986.01	70,607.33
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.96	10,879.50	0.00	10,935.46	10,935.46
तमिलनाडु	32,329.41	0.00	16,605.91	0.00	2,264.73	13,664.72	64,864.77	14,564.99	6,115.48	152.23	581.57	244.77	5,212.71	0.00	26,871.76	91,736.53
तेलंगाना	44,760.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,760.76	220.91	6,351.04	164.11	61.00	67.27	3,645.38	69.05	10,578.75	55,339.51
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.21	0.00	7,043.21	0.00	6.04	0.00	0.00	9.58	0.00	0.00	15.62	7,058.83
उत्तर प्रदेश	1,19,592.96	0.00	0.00	0.00	2,470.75	3,284.81	1,25,348.52	0.00	1,856.19	135.82	3,590.87	164.91	1,572.35	0.00	7,320.13	1,32,668.65
उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	721.97	0.00	721.97	0.00	329.64	0.00	85.33	821.88	13,592.49	0.00	14,829.34	15,551.31
पश्चिम बंगाल	72,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,735.07	0.00	73.92	0.00	148.73	107.06	3,212.28	1,200.99	4,742.98	77,478.05
अखिल भारतीय कुल	9,50,937.55	126.31	30,505.68	101.41	50,842.59	43,029.08	10,75,542.62	60,149.95	60,402.26	3,512.98	11,302.85	10,258.41	1,50,299.52	1,621.06	2,97,547.03	13,73,089.65
भूटान से आयात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.50	0.00	8,765.50	8,765.50
कुल योग	9,50,937.55	126.31	30,505.68	101.41	50,842.59	43,029.08	10,75,542.62	60,149.95	60,402.26	3,512.98	11,302.85	10,258.41	1,59,065.02	1,621.06	3,06,312.53	13,81,855.15

वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड राज्य सहित ताप विद्युत, जल विद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न स्रोतों से स्रोत और राज्य-वार उत्पादन आंकड़े

(सभी उत्पादन के आंकड़े एमयू में हैं)

राज्य	ताप विद्युत				न्यूक्लियर	कुल पारंपरिक	नवीकरणीय							कुल नवीकरणीय ऊर्जा	कुल योग
	कोयला	डीजल/एचएसडी	लिग्नाइट	प्राकृतिक गैस			पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु जल विद्युत	बड़ी जल विद्युत	अन्य		
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	117.24	0.00	0.00	0.00	117.24	0.00	21.51	0.00	0.00	13.26	0.00	0.00	34.77	152.01
आंध्र प्रदेश	53,326.74	0.00	0.00	2,094.34	0.00	55,421.08	7,134.58	7,832.51	104.85	72.70	384.08	3,113.83	133.88	18,776.44	74,197.52
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.41	4,161.28	0.00	4,163.41	4,163.41
असम	4,201.45	0.00	0.00	3,399.10	0.00	7,600.55	0.00	81.64	0.00	0.00	40.46	676.24	0.00	798.34	8,398.89
बिहार	43,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	43,940.40	0.00	163.08	2.14	65.84	8.77	0.00	0.00	239.83	44,180.23
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.19	14.19
छत्तीसगढ़	1,40,870.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,40,870.87	0.00	436.56	1,307.27	8.70	185.67	404.13	0.00	2,342.34	1,43,213.21
दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.16	49.16
दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.35	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	47.67	47.67
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	4,948.57	0.00	4,948.57	0.00	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	232.89	458.73	5,407.30
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	16.82	16.82
गुजरात	43,884.40	0.00	5,684.02	7,353.85	3,503.47	60,425.74	17,854.77	6,774.50	0.00	18.16	192.10	2,621.51	0.00	27,461.04	87,886.78
हरियाणा	22,847.43	0.00	0.00	120.30	0.00	22,967.73	0.00	572.85	171.60	96.75	270.13	0.00	24.09	1,135.42	24,103.15
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.29	0.00	0.00	1,999.47	36,459.64	0.00	38,503.40	38,503.40
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	414.10	17,074.02	0.00	17,489.83	17,489.83
झारखंड	28,338.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.72	0.00	18.21	0.00	0.00	10.49	547.96	0.00	576.67	28,915.39
कर्नाटक	30,505.26	0.00	0.00	0.00	7,492.05	37,997.31	9,491.62	13,169.43	174.08	3,338.24	2,460.91	13,936.46	0.00	42,570.74	80,568.05
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.41	496.93	0.00	48.92	932.37	9,317.44	0.00	10,932.06	10,932.06
लददाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.98	0.00	405.98	405.98
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30
मध्य प्रदेश	1,29,634.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,29,634.45	4,346.66	4,006.70	25.35	82.20	221.43	4,686.72	34.40	13,403.45	1,43,037.90
महाराष्ट्र	1,16,485.92	0.00	0.00	6,124.19	8,602.18	1,31,212.29	7,085.98	3,187.18	316.79	4,468.31	787.16	6,007.38	0.22	21,853.02	1,53,065.31
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	455.48	0.00	462.20	462.20
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	44.21	841.82	0.00	886.50	886.50
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	26.41	137.44	0.00	165.53	165.53
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.47	100.55	0.00	164.02	164.02
ओडिशा	60,161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	60,161.29	0.00	603.71	100.08	0.00	377.32	5,230.63	0.00	6,311.73	66,473.02
पुद्दुचेरी	0.00	0.00	0.00	251.13	0.00	251.13	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	263.37
पंजाब	24,175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	24,175.82	0.00	1,473.41	576.83	208.30	983.37	3,709.73	0.24	6,951.88	31,127.70
राजस्थान	40,846.37	0.00	8,762.03	1,499.01	8,308.85	59,416.26	6,493.19	17,219.88	378.40	0.00	7.85	481.84	0.00	24,581.15	83,997.41
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	11,493.90	0.00	11,506.25	11,506.25
तमिलनाडु	36,802.55	0.00	22,647.99	1,732.22	15,625.26	76,808.02	15,821.18	7,172.88	116.66	657.40	293.17	5,212.07	0.00	29,273.35	1,06,081.37
तेलंगाना	51,550.06	0.00	0.00	0.00	0.00	51,550.06	275.69	6,536.94	111.13	103.95	91.00	5,626.63	227.20	12,972.52	64,522.58
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	6,332.25	0.00	6,332.25	0.00	6.18	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	7.62	6,339.87
उत्तर प्रदेश	1,30,698.93	0.00	0.00	1,148.49	3,580.25	1,35,427.67	0.00	2,900.41	85.20	3,160.39	162.54	1,402.68	20.40	7,731.62	1,43,159.29
उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	1,012.32	0.00	1,012.32	0.00	301.60	0.00	244.02	326.70	14,332.13	0.00	15,204.45	16,216.77
पश्चिम बंगाल	83,216.77	0.00	0.00	0.00	0.00	83,216.77	0.00	98.24	0.00	0.00	152.90	3,189.84	1,593.96	5,034.93	88,251.70
अखिल भारतीय कुल	10,41,487.43	117.24	37,094.04	36,015.77	47,112.06	11,61,826.54	68,640.07	73,483.94	3,482.69	12,573.88	10,463.55	1,51,627.33	2,268.16	3,22,539.62	14,84,366.16
भूतान से आयात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.20	0.00	7,493.20	7,493.20
कुल योग	10,41,487.43	117.24	37,094.04	36,015.77	47,112.06	11,61,826.54	68,640.07	73,483.94	3,482.69	12,573.88	10,463.55	1,59,120.53	2,268.16	3,30,032.82	14,91,859.36

वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड राज्य सहित ताप विद्युत, जल विद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न स्रोतों से स्रोत और राज्य-वार उत्पादन आंकड़े

(सभी उत्पादन के आंकड़े एमयू में हैं)

राज्य	ताप विद्युत					न्यूक्लियर	कुल पारंपरिक	नवीकरणीय								कुल योग
	कोयला	डीजल/एचएसडी	लिग्नाइट	नैप्या	प्राकृतिक गैस			पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु जल विद्युत	बड़ी जल विद्युत	अन्य	कुल नवीकरणीय ऊर्जा	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00	214.57	0.00	23.94	0.00	0.00	13.94	0.00	0.00	37.88	252.45
आंध्र प्रदेश	60,931.93	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	61,541.93	7,426.46	8,140.72	54.86	99.93	410.90	3,747.58	279.04	20,159.49	81,701.42
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27	0.00	0.00	2.55	4,820.94	0.03	4,845.79	4,845.79
असम	5,026.24	0.00	0.00	0.00	3,366.84	0.00	8,393.08	0.00	216.35	0.00	0.00	62.66	481.60	0.00	760.61	9,153.69
बिहार	55,200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.21	0.00	169.53	0.00	106.68	12.63	0.00	0.00	288.85	55,489.06
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	12.61
छत्तीसगढ़	1,42,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,42,599.20	0.00	635.42	1,194.60	17.10	155.92	237.37	0.00	2,240.42	1,44,839.62
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.62	30.62
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.30	0.00	3,784.30	0.00	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	294.09	530.20	4,314.50
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	19.96	19.96
गुजरात	47,596.58	0.00	5,726.35	0.00	2,158.69	3,639.91	59,121.53	19,206.22	10,335.32	0.00	5.76	213.10	6,133.14	2.24	35,895.77	95,017.30
हरियाणा	32,136.68	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	32,139.27	0.00	555.20	356.07	203.01	241.90	0.00	63.55	1,419.73	33,559.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.76	0.00	0.00	2,854.07	38,666.98	0.00	41,579.81	41,579.81
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.20	16,777.42	0.00	17,170.62	17,170.62
झारखंड	30,472.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,472.78	0.00	19.70	0.00	0.00	2.40	305.47	0.00	327.57	30,800.35
कर्नाटक	35,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.24	42,457.54	9,967.89	14,153.79	106.90	3,037.31	2,308.59	13,157.34	0.00	42,731.82	85,189.36
केरल	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	179.32	879.75	0.00	62.85	824.34	7,989.00	0.00	9,935.26	9,935.38
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	402.78	402.78
लक्षद्वीप	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	15.12
मध्य प्रदेश	1,35,838.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,35,838.47	4,486.72	3,839.30	38.76	113.05	357.97	7,309.07	36.93	16,181.79	1,52,020.26
महाराष्ट्र	1,24,477.47	0.00	0.00	0.00	2,429.56	8,985.48	1,35,892.51	7,243.06	4,387.85	236.48	4,572.03	766.73	5,894.29	0.44	23,100.88	1,58,993.39
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	477.98	0.63	486.77	486.77
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.16	980.25	0.00	1,052.41	1,052.41
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00	59.06	204.13	0.00	266.40	266.40
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.95	177.37	0.00	289.32	289.32
ओडिशा	64,874.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,874.24	0.00	706.24	60.95	0.00	424.92	5,462.81	0.00	6,654.91	71,529.15
पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	233.07	0.00	233.07	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	245.31
पंजाब	31,506.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.16	0.00	2,778.66	497.68	210.76	682.48	4,399.65	0.00	8,569.23	40,075.39
राजस्थान	46,966.68	0.00	9,001.71	0.00	1,450.33	6,587.27	64,005.99	6,111.41	34,474.43	397.05	0.00	7.17	967.43	0.00	41,957.48	1,05,963.47
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	11,696.79	0.00	11,709.14	11,709.14
तमिलनाडु	43,761.00	0.00	21,460.28	0.83	1,861.12	16,012.57	83,095.80	16,913.85	9,419.39	126.93	869.56	296.71	5,965.77	0.00	33,592.22	1,16,888.02
तेलंगाना	50,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,738.20	279.23	6,745.46	21.48	132.94	91.71	6,010.07	159.08	13,439.96	64,178.16
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.48	0.00	7,079.48	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58	7,086.06
उत्तर प्रदेश	1,51,154.99	0.00	0.00	0.00	908.23	3,192.62	1,55,255.84	0.00	3,674.02	66.35	3,183.67	234.69	974.04	58.45	8,191.22	1,63,447.06
उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.80	0.00	248.52	352.07	15,435.77	0.00	16,368.16	16,368.16
पश्चिम बंगाल	87,612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,612.45	0.00	125.04	0.00	0.00	204.44	3,423.73	1,629.64	5,382.85	92,995.30
अखिल भारतीय कुल	11,45,907.58	229.71	36,188.34	0.83	23,884.21	45,861.09	12,52,071.76	71,814.16	1,02,014.24	3,161.32	12,863.16	11,170.61	1,62,098.77	2,529.18	3,65,851.45	16,17,723.21
भूटान से आयात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.40	0.00	6,742.40	6,742.40
कुल योग	11,45,907.58	229.71	36,188.34	0.83	23,884.21	45,861.09	12,52,071.76	71,814.16	1,02,014.24	3,161.32	12,863.16	11,170.61	1,68,841.17	2,529.18	3,72,393.85	16,24,465.61

वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड राज्य सहित ताप विद्युत, जल विद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न स्रोतों से स्रोत और राज्य-वार उत्पादन आंकड़े

(सभी उत्पादन के आंकड़े एमयू में हैं)

राज्य	ताप विद्युत					न्यूक्लियर	कुल पारंपरिक	नवीकरणीय								कुल योग
	कोयला	डीजल/एचएसडी	लिग्नाइट	नैप्या	प्राकृतिक गैस			पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु जल विद्युत	बड़ी जल विद्युत	अन्य	कुल नवीकरणीय ऊर्जा	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	335.79	0.00	27.50	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	39.50	375.29
आंध्र प्रदेश	71,241.24		0.00	0.00	2.41	0.00	71,243.65	8,644.00	8,300.03	18.75	66.63	127.10	1,373.19	307.97	18,837.67	90,081.32
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.66	4,278.18	4,280.73	4,280.73	
असम	5,058.11	0.00	0.00	0.00	3,375.27	0.00	8,433.38	0.00	316.31	0.00	0.00	64.20	614.70	0.75	995.96	9,429.34
बिहार	58,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,361.80	0.00	195.19	0.00	140.98	5.92	0.00	0.00	342.08	58,703.88
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70
छत्तीसगढ़	1,62,388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,62,388.63	0.00	943.75	1,368.61	19.54	145.54	321.76	0.00	2,799.20	1,65,187.83
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86	28.86
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.14	0.00	3,755.14	0.00	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	522.28	728.81	4,483.95
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	67.95	67.95
गुजरात	70,781.00	0.00	5,816.43	0.00	8,185.06	7,576.86	92,359.35	24,794.50	13,468.91	0.00	2.13	217.68	4,556.33		43,039.55	1,35,398.90
हरियाणा	28,060.15	0.00	0.00	0.00	137.28	0.00	28,197.43	0.00	992.91	294.12	83.60	222.05	0.00	58.82	1,651.50	29,848.93
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.54	0.00	0.00	2,526.98	36,365.85	0.00	38,952.37	38,952.37
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.69	15,874.24	0.00	16,282.93	16,282.93
झारखंड	35,764.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,764.81	0.00	17.64	0.00	0.00	5.52	196.80	0.00	219.96	35,984.77
कर्नाटक	44,466.58		0.00	0.00	0.00	7,502.65	51,969.23	10,950.20	15,404.09	47.45	2,754.06	1,370.76	8,973.17	0.00	39,499.72	91,468.95
केरल	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	214.53	1,195.28	0.00	78.08	716.31	5,155.72	0.04	7,359.96	7,359.96
लददाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.48	0.00	388.48	388.48
लक्षद्वीप	0.00	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	64.79	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	64.88
मध्य प्रदेश	1,48,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,48,680.03	4,949.78	4,025.19	84.62	97.01	469.60	6,444.78	28.83	16,099.80	1,64,779.83
महाराष्ट्र	1,32,924.80	0.00	0.00	0.00	3,970.83	8,112.38	1,45,008.01	8,228.97	5,814.13	304.61	3,495.82	888.48	5,264.49	33.40	24,029.90	1,69,037.91
मणिपुर	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	298.18	1.23	307.14	307.14
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.55	808.58	0.00	875.13	875.13
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	0.00	0.00	95.93	118.63	0.00	217.74	217.74
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.14	165.47	0.00	246.61	246.61
ओडिशा	66,019.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,019.81	0.00	757.69	96.07	0.00	407.97	6,162.20	0.00	7,423.92	73,443.73
पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	224.10	0.00	224.10	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	236.34
पंजाब	32,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,462.85	0.00	2,673.99	613.44	197.99	636.97	4,676.42	0.00	8,798.82	41,261.67
राजस्थान	51,701.62	0.00	8,776.46	0.00	1,144.62	7,059.67	68,682.37	8,390.67	38,363.28	387.55	0.00	7.45	1,013.97	0.00	48,162.93	1,16,845.30
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	8,609.85	0.00	8,622.20	8,622.20
तमिलनाडु	54,058.30		19,356.90	0.03	1,918.59	14,811.22	90,145.04	16,908.08	11,737.48	129.14	622.61	206.00	3,563.28	0.00	33,166.59	1,23,311.63
तेलंगाना	56,913.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,913.73	304.63	6,884.68	10.57	95.08	58.87	1,243.29	155.29	8,752.39	65,666.12
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	6,353.31	0.00	6,353.31	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	6,360.32
उत्तर प्रदेश	1,52,505.20	0.00	0.00	0.00	1,619.52	2,874.63	1,56,999.35	0.00	3,971.31	46.65	2,923.55	175.24	850.64	84.85	8,052.23	1,65,051.58
उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	609.78	0.00	609.78	0.00	331.80	0.00	248.52	350.62	13,919.23	0.00	14,850.17	15,459.95
पश्चिम बंगाल	89,513.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,513.96	0.00	168.32	2.49	0.00	204.46	2,816.49	1,545.13	4,736.88	94,250.84
अखिल भारतीय कुल	12,60,902.62	400.58	33,949.79	0.03	31,295.91	47,937.41	13,74,486.34	83,385.35	1,15,975.11	3,417.19	10,825.59	9,485.04	1,34,053.92	2,746.55	3,59,888.75	17,34,375.09
भूतान से आयात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716.10	0.00	4,716.10	4,716.10
कुल योग	12,60,902.62	400.58	33,949.79	0.03	31,295.91	47,937.41	13,74,486.34	83,385.35	1,15,975.11	3,417.19	10,825.59	9,485.04	1,38,770.02	2,746.55	3,64,604.85	17,39,091.19

वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड राज्य सहित ताप विद्युत, जल विद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न स्रोतों से स्रोत और राज्य-वार उत्पादन आंकड़े

(सभी उत्पादन के आंकड़े एमयू में हैं)

राज्य	ताप विद्युत				न्यूक्लियर	कुल पारंपरिक	नवीकरणीय								कुल योग
	कोयला	डीजल/एचएसडी	लिग्नाइट	प्राकृतिक गैस			पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु जल विद्युत	बड़ी जल विद्युत	अन्य	कुल नवीकरणीय ऊर्जा	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	374.18	0.00	0.00	0.00	374.18	0.00	24.59	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	39.00	413.18
आंध्र प्रदेश	72,832.94		0.00	34.04	0.00	72,866.98	7,235.04	7,993.48	19.61	52.34	294.36	3,303.08	307.40	19,205.31	92,072.29
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.58	4,205.16	0.00	4,207.04	4,207.04
असम	4,787.20	0.00	0.00	3,407.99	0.00	8,195.19	0.00	305.52	0.00	0.00	208.55	998.75	0.30	1,513.11	9,708.30
बिहार	60,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00	60,757.75	0.00	325.86	0.00	104.70	14.54	0.00	0.00	445.10	61,202.85
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	8.79
छत्तीसगढ़	1,66,431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,66,431.38	0.00	1,523.27	1,543.26	20.05	139.34	419.42	0.00	3,645.35	1,70,076.73
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	28.63	28.63
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	3,878.01	0.00	3,878.01	0.00	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	542.41	748.95	4,626.96
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14	65.24	65.24
गुजरात	79,769.84	0.00	5,245.75	8,411.70	12,301.55	1,05,728.84	25,440.90	20,219.48	107.62	0.00	205.98	6,028.52	0.00	52,002.50	1,57,731.34
हरियाणा	30,228.56	0.00	0.00	215.37	0.00	30,443.93	0.00	1,470.02	359.23	44.60	314.64	0.00	49.13	2,237.62	32,681.55
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.24	0.00	0.00	3,040.90	39,386.29	0.00	42,534.43	42,534.43
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.17	15,200.65	0.00	15,595.82	15,595.82
झारखंड	38,812.21	0.00	0.00	0.00	0.00	38,812.21	0.00	17.64	0.00	0.00	6.25	269.12	0.00	293.01	39,105.22
कर्नाटक	44,367.93		0.00	314.38	7,358.02	52,040.33	13,620.33	15,699.63	32.15	2,474.25	2,259.49	14,056.00	0.00	48,141.85	1,00,182.18
केरल	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53	119.85	1,711.83	0.00	20.53	814.29	6,733.99	56.64	9,457.13	9,458.66
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.06	0.00	413.06	413.06
लक्षद्वीप	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00	66.94	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	67.03
मध्य प्रदेश	1,46,116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,46,116.76	4,712.84	7,123.73	61.95	121.55	482.19	7,606.73	65.06	20,174.05	1,66,290.81
महाराष्ट्र	1,31,157.23	0.00	0.00	5,390.97	8,467.44	1,45,015.64	7,659.71	7,725.20	259.41	3,001.04	855.48	5,635.24	90.35	25,226.43	1,70,242.07
मणिपुर	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	0.00	0.00		706.37	0.00	715.05	715.05
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.65	905.58	0.00	1,022.23	1,022.23
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38	0.00	0.00	52.11	240.30	0.00	317.79	317.79
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.62	215.02	0.00	313.64	313.64
ओडिशा	68,638.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68,638.78	0.00	786.75	53.80	0.00	457.20	6,285.36	0.00	7,583.11	76,221.89
पुद्दुचेरी	0.00		0.00	204.95	0.00	204.95	0.00	12.24		0.00		0.00	0.00	12.24	217.19
पंजाब	33,575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	33,575.21	0.00	1,372.73	692.06	348.11	734.01	4,126.11	0.00	7,273.02	40,848.23
राजस्थान	56,545.08	0.00	8,520.18	921.90	7,430.95	73,418.11	6,941.26	49,101.62	400.85	0.00	4.15	905.80	0.00	57,353.68	1,30,771.79
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	2,012.67	0.00	2,025.02	2,025.02
तमिलनाडु	53,376.75	0.00	19,228.84	1,615.77	17,493.39	91,714.75	17,326.66	15,739.30	106.90	377.99	256.60	4,602.72	0.00	38,410.17	1,30,124.92
तेलंगाना	56,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56,969.20	290.60	6,941.75	12.61	64.28	74.48	5,270.78	257.96	12,912.48	69,881.68
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	5,099.65	0.00	5,099.65	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	5,105.62
उत्तर प्रदेश	1,61,337.30	0.00	0.00	1,247.56	3,629.48	1,66,214.34	0.00	4,966.06	76.48	2,457.35	179.00	1,273.74	29.88	8,982.50	1,75,196.84
उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	837.76	0.00	837.76	0.00	331.80	0.00	248.52	353.40	15,183.82	0.00	16,117.54	16,955.30
पश्चिम बंगाल	93,168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	93,168.17	0.00	320.75	0.00	0.00	183.30	2,649.70	1,462.46	4,616.21	97,784.38
अखिल भारतीय कुल	12,98,872.29	442.65	32,994.77	31,580.05	56,680.83	14,20,570.59	83,347.19	1,44,150.23	3,738.67	9,335.32	11,568.04	1,48,633.98	2,869.73	4,03,643.17	18,24,213.76
भूटान से आयात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.18	0.00	5,484.18	5,484.18
कुल योग	12,98,872.29	442.65	32,994.77	31,580.05	56,680.83	14,20,570.59	83,347.19	1,44,150.23	3,738.67	9,335.32	11,568.04	1,54,118.16	2,869.73	4,09,127.35	18,29,697.94

वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के लिए झारखंड राज्य सहित ताप विद्युत, जल विद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न स्रोतों से स्रोत और राज्य-वार उत्पादन आंकड़े

(सभी उत्पादन के आंकड़े एमयू में हैं)

राज्य	ताप विद्युत					न्यूक्लियर	कुल पारंपरिक	नवीकरणीय								कुल योग
	कोयला	डीजल/एचएसडी	लिग्नाइट	नैच्था	प्राकृतिक गैस			पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु जल विद्युत	बड़ी जल विद्युत	अन्य	कुल नवीकरणीय ऊर्जा	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	303.76	0.00	13.82	0.00	0.00	12.52	0.00	0.00	26.35	330.11
आंध्र प्रदेश	60,057.57		0.00	0.00	311.49	0.00	60,369.06	8,158.13	6,690.00	12.11	31.17	346.86	5,072.66	318.13	20,629.05	80,998.11
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.32	4,191.90	0.00	4,194.44	4,194.44
असम	3,725.47	0.00	0.00	0.00	2,401.39	0.00	6,126.86	0.00	269.12	0.00	0.00	130.87	1,303.04	0.41	1,703.43	7,830.29
बिहार	48,552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,552.97	0.00	263.60	0.00	48.36	18.42	0.00	0.00	330.38	48,883.35
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	6.60
छत्तीसगढ़	1,37,510.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,37,510.04	0.00	1,472.28	1,215.23	6.15	235.49	283.73	0.00	3,212.88	1,40,722.92
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वाव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27.34	27.34
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.98	0.00	2,443.98	0.00	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	410.34	582.45	3,026.43
गोवा	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	54.37	54.37
गुजरात	47,161.20	0.00	4,461.15	0.00	5,463.45	10,502.42	67,588.22	29,311.21	19,801.11	122.19		155.78	5,853.74	0.00	55,244.03	1,22,832.25
हरियाणा	21,768.07	0.00	0.00	0.00	181.38	0.00	21,949.45	0.00	1,283.70	323.48	62.68	186.56	0.00	46.69	1,903.11	23,852.56
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.62	0.00	0.00	2,541.27	39,995.38	0.00	42,698.27	42,698.27
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.01	14,284.91	0.00	14,659.92	14,659.92
झारखंड	32,911.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,911.14	0.00	14.70	0.00	0.00	17.11	134.36	0.00	166.17	33,077.31
कर्नाटक	33,965.79	0.00	0.00	0.00	519.32	4,775.14	39,260.25	16,546.77	14,420.68	39.00	2,752.46	2,671.87	13,190.08	3.84	49,624.69	88,884.94
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.59	1,865.46	0.00	0.00	874.69	8,085.61	80.47	11,023.83	11,023.83
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.14	0.00	431.14	431.14
लक्षद्वीप	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	54.45	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	54.53
मध्य प्रदेश	1,16,622.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,16,622.47	4,132.38	6,645.53	58.40	49.64	440.33	7,342.78	41.19	18,710.25	1,35,332.72
महाराष्ट्र	1,08,402.39	0.00	0.00	0.00	3,973.61	6,116.28	1,18,492.28	7,911.27	8,281.26	218.18	2,532.91	768.79	4,267.71	46.60	24,026.72	1,42,519.00
मणिपुर	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	532.87	0.00	540.04	540.04
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.26	835.85	0.00	969.11	969.11
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	20.19	256.36	0.00	302.05	302.05
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.71	215.56	0.00	307.27	307.27
ओडिशा	57,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,099.40	0.00	738.98	69.70	0.00	562.11	6,173.00	0.00	7,543.79	64,643.19
पुद्दुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	150.04	0.00	150.04	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	160.24
पंजाब	27,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,411.21	0.00	1,121.59	568.19	157.22	398.15	3,741.88	0.00	5,987.02	33,398.23
राजस्थान	39,952.78	0.00	6,568.13	0.00	790.64	9,170.07	56,481.62	6,344.83	48,827.50	636.16	0.00	4.60	860.48	0.00	56,673.57	1,13,155.19
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	2,468.96	0.00	2,479.26	2,479.26
तमिलनाडु	38,885.29		13,877.44		1,047.91	12,489.71	66,300.35	22,803.85	15,759.73	0.00	164.82	278.44	5,250.44	0.00	44,257.28	1,10,557.63
तेलंगाना	47,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,417.65	260.92	5,601.37	15.96	48.77	77.08	6,535.14	252.15	12,791.38	60,209.03
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239.22	0.00	4,239.22	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	4,247.10
उत्तर प्रदेश	1,37,067.34	0.00	0.00	0.00	764.60	2,140.05	1,39,971.99	0.00	4,244.53	88.47	1,574.63	70.53	1,555.80	30.92	7,564.88	1,47,536.87
उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	477.12	0.00	477.12	0.00	276.50	0.00	207.10	294.50	14,822.01	0.00	15,600.11	16,077.23
पश्चिम बंगाल	73,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,371.75	0.00	337.72	0.00	0.00	168.32	2,353.73	1,216.05	4,075.83	77,447.58
अखिल भारतीय कुल	10,31,882.53	358.21	24,906.72	0.00	22,764.15	45,193.67	11,25,105.28	95,586.95	1,38,386.93	3,377.60	7,635.91	10,885.08	1,50,039.12	2,453.59	4,08,365.17	15,33,470.45
भूटान से आयात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68	7,765.68
कुल योग	10,31,882.53	358.21	24,906.72	0.00	22,764.15	45,193.67	11,25,105.28	95,586.95	1,38,386.93	3,377.60	7,635.91	10,885.08	1,57,804.80	2,453.59	4,16,130.85	15,41,236.13

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) में देश में अधिकतम मांग और ऊर्जा आवश्यकता के संबंध में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष (एफवाई)	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]				अधिकतम [मेगावाट (एमडब्ल्यू) में]			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति ऊर्जा (एमयू)	अनापूर्ति ऊर्जा		अधिकतम मांग (एमडब्ल्यू)	अधिकतम पूर्ति (एमडब्ल्यू)	मांग पूरी नहीं हुई	
			(एमयू)	(%)			(एमडब्ल्यू)	(%)
2020-21	12,75,534	12,70,663	4,871	0.4	1,90,198	1,89,395	-802	-0.4
2021-22	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4	2,03,014	2,00,539	-2,475	-1.2
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	2,15,888	2,07,231	8,657	4.0
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	2,49,856	2,49,854	2	0.0
2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	14,27,436	14,27,009	427	0.0	2,45,444	2,45,416	28	0.0

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के लिए मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा आवश्यकता के संबंध में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2020-21	83,437	83,437	0	0.0
2021-22	86,501	86,455	46	0.1
2022-23	92,683	92,325	358	0.4
2023-24	99,301	99,150	151	0.2
2024-25	1,04,445	1,04,312	133	0.1
2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	85,679	85,670	9	0.0

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आपूर्तित कुल यूनिटों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक)
(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
1,642.70	1,703.32	1,895.07	1,912.29	2,106.59	1,741.55

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 290
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

290. डॉ. राजेश मिश्रा:

श्री पी. पी. चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की है और यदि हां, तो उक्त योजना के उद्देश्य और मुख्य घटक क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत राजस्थान सहित कुल कितने राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को कम करने और बिलिंग दक्षता में सुधार करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग, वितरण स्वचालन, डेटा वैश्लेषिकी और ग्रिड निगरानी समाधान जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वितरण हानि में कमी, विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता में वृद्धि के संदर्भ में अब तक उक्त योजना के कार्यान्वयन के प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 290 के संबंध में भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की थी। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है।

स्कीम के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण हेतु अवसंरचना कार्यों तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वितरण यूटिलिटी (निजी क्षेत्र की यूटिलिटी को छोड़कर) को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए 1.53 लाख करोड़ रु. तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रु. की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों (फरवरी, 2026 तक) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति **अनुबंध-1 से III** पर है।

वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने तथा ऊर्जा लेखांकन को सुनिश्चित करके समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने के लिए स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं:

- नए उपकेंद्रों की स्थापना तथा मौजूदा उपकेंद्रों का उन्नयन।
- नए वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डीटी) की स्थापना तथा मौजूदा वितरण ट्रांसफॉर्मरों का संवर्धन।
- पुराने कंडक्टरों को बदलना।
- नए जीआईएस उपकेंद्रों की स्थापना तथा एचटी/एलटी लाइनों का भूमिगतकरण।
- ग्रिड निगरानी में सुधार हेतु आईटी/ओटी प्रणालियाँ जैसे- स्काडा (पर्यवेक्षकीय नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण), डीटी स्थिति की निगरानी, वितरण प्रबंधन प्रणाली आदि।
- प्री-पेड स्मार्ट मीटरिंग कार्य, जिनमें 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं को कवर किया जाना है, तथा स्मार्ट सिस्टम मीटरिंग कार्य, जिसमें 2.11 लाख फीडर और 52.53 लाख डीटी शामिल हैं। स्कीम के अंतर्गत अब तक 4.38 करोड़ उपभोक्ताओं, 1.63 लाख फीडरों तथा 14.84 लाख डीटी के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देशभर में 5.97 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटरिंग कार्य से स्वचालित ऊर्जा लेखांकन के माध्यम से यूटिलिटी की बिलिंग दक्षता में सुधार होता है, जिससे लिकेज तथा उच्च

हानि वाले क्षेत्रों की पहचान संभव होती है। साथ ही प्रीपेड प्रणाली के माध्यम से यूटिलिटी की राजस्व वसूली दक्षता में भी सुधार होता है।

हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता को वितरण यूटिलिटी के प्रदर्शन से जोड़ा गया है, जिसमें एटीएंडसी हानियों सहित प्रमुख वित्तीय एवं प्रचालन मानक शामिल हैं। इससे यूटिलिटी को सब्सिडी तथा सरकारी विभागों के बकाया का भुगतान समय पर प्राप्त होना सुनिश्चित हुआ है। इसके अतिरिक्त इससे यूटिलिटी को नियमित रूप से टैरिफ आदेश जारी करने, समय पर लेखा प्रकाशन, नियामकीय परिसंपत्तियों का सृजन न करने, लिकेज को कम करके बिलिंग में सुधार करने तथा बिल की गई ऊर्जा की वसूली में सुधार हुआ है।

केंद्र एवं राज्य सरकारों के सघन प्रयासों तथा किए गए सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप देशभर में एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2020-21 के 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 15.04% रह गई है जबकि इसी अवधि में औसत आपूर्ति लागत और औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) के बीच का अंतर 0.69 रु. प्रति किलोवाट घंटा से घटकर 0.06 रु. प्रति किलोवाट घंटा हो गया है। देशभर में विद्युत आपूर्ति के औसत दैनिक घंटे में भी सुधार हुआ है और औसत दैनिक आपूर्ति वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्रों में 22.6 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 23.4 घंटे दर्ज की गई है।

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत निधि का विवरण (फरवरी, 2026 तक)

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्मार्ट मीटरिंग	हानि न्यूनीकरण	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54	462	516
आंध्र प्रदेश	4,128	10,708	14,836
अरुणाचल प्रदेश	184	1,042	1,226
असम	4,050	3,395	7,444
बिहार	2,021	10,559	12,581
छत्तीसगढ़	4,105	4,021	8,126
दिल्ली	13	324	337
गोवा	469	247	716
गुजरात	10,642	6,089	16,731
हरियाणा	-	6,794	6,794
हिमाचल प्रदेश	1,788	2,327	4,116
जम्मू और कश्मीर	1,064	5,034	6,098
झारखंड	858	3,468	4,326
कर्नाटक	-	45	45
केरल	8,231	3,108	11,339
लद्दाख	-	876	876
मध्य प्रदेश	8,911	9,738	18,649
महाराष्ट्र	15,215	17,238	32,453
मणिपुर	121	627	748
मेघालय	310	1,232	1,542
मिजोरम	182	322	503
नागालैंड	208	466	674
पुदुचेरी	251	84	335
पंजाब	5,769	3,873	9,642
राजस्थान	9,715	18,693	28,408
सिक्किम	97	420	518
तमिलनाडु	19,235	9,568	28,803
तेलंगाना	-	120	120
त्रिपुरा	319	598	917
उत्तर प्रदेश	18,956	21,782	40,739
उत्तराखंड	1,106	2,371	3,477
पश्चिम बंगाल	12,670	7,223	19,893
कुल	1,30,671	1,52,854	2,83,525

आरडीएसएस के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण कार्यों की वास्तविक प्रगति (फरवरी, 2026 तक)

राज्य	वास्तविक प्रगति (%) में	वित्तीय प्रगति (%) में
अंडमान और निकोबार	0%	10%
आंध्र प्रदेश	37%	36%
अरुणाचल प्रदेश	22%	21%
असम	55%	59%
बिहार	49%	51%
छत्तीसगढ़	51%	44%
दिल्ली	0%	0%
गोवा	85%	27%
गुजरात	53%	48%
हरियाणा	16%	16%
हिमाचल प्रदेश	4%	21%
जम्मू और कश्मीर	38%	46%
झारखंड	51%	27%
कर्नाटक	43%	20%
केरल	30%	25%
लद्दाख	8%	10%
मध्य प्रदेश	52%	55%
महाराष्ट्र	38%	33%
मणिपुर	18%	25%
मेघालय	22%	27%
मिजोरम	52%	33%
नागालैंड	21%	27%
पुदुचेरी	32%	28%
पंजाब	19%	24%
राजस्थान	16%	22%
सिक्किम	19%	26%
तमिलनाडु	13%	18%
तेलंगाना	72%	49%
त्रिपुरा	55%	51%
उत्तर प्रदेश	44%	48%
उत्तराखंड	22%	28%
पश्चिम बंगाल	61%	19%
कुल	38%	35%

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत और संस्थापित स्मार्ट मीटरिंग कार्य (फरवरी, 2026 तक)

राज्य/यूटी	उपभोक्ता मीटर (सं.)		डीटी मीटर (सं.)		फीडर मीटर (सं.)		कुल मीटर (सं.)	
	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित	स्वीकृत	संस्थापित
अंडमान और निकोबार	83,573	-	1,148	-	114	-	84,835	-
आंध्र प्रदेश	56,08,846	24,90,314	2,93,140	1,01,788	17,358	9,312	59,19,344	26,01,414
अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	62,577	10,116	311	688	263	2,98,250	63,151
असम	63,64,798	49,75,780	77,547	57,731	2,782	2,879	64,45,127	50,36,390
बिहार	23,50,000	20,18,637	2,50,726	1,87,495	6,427	5,799	26,07,153	22,11,931
छत्तीसगढ़	59,62,115	35,49,336	2,10,644	76,021	6,720	5,968	61,79,479	36,31,325
दिल्ली			766		2,755	-	3,521	-
गोवा	7,41,160	219	8,369	1,729	827	827	7,50,356	2,775
गुजरात	1,64,87,100	39,62,299	3,00,487	1,44,571			1,67,87,587	41,06,870
हिमाचल प्रदेश	28,00,945	8,09,994	39,012	24,688	1,951	1,656	28,41,908	8,36,338
जम्मू और कश्मीर	14,07,045	6,33,990	88,037	18,812	2,608	1,445	14,97,690	6,54,247
झारखंड	13,41,306	6,51,745	19,512	1,130	1,226	881	13,62,044	6,53,756
केरल	1,32,89,361	1,73,467	87,615	286	6,025	2,904	1,33,83,001	1,76,657
मध्य प्रदेश	1,29,80,102	34,12,471	4,19,396	1,63,640	29,708	26,734	1,34,29,206	36,02,845
महाराष्ट्र	2,35,64,747	92,04,549	4,10,905	2,95,172	29,214	31,524	2,40,04,866	95,31,245
मणिपुर	1,54,400	39,272	11,451	796	357	236	1,66,208	40,304
मेघालय	4,60,000	-	11,419	-	1,324	-	4,72,743	-
मिजोरम	2,89,383	30,250	2,300	440	398	297	2,92,081	30,987
नागालैंड	3,17,210	36,218	6,276	845	392	168	3,23,878	37,231
पुदुचेरी	4,03,767	26,046	3,105	89	180	123	4,07,052	26,258
पंजाब	87,84,807	-	1,84,044	-	12,563	2,788	89,81,414	2,788
राजस्थान	1,42,74,956	28,85,872	4,34,608	38,709	27,128	25,426	1,47,36,692	29,50,007
सिक्किम	1,44,680	86,956	3,229	1,473	633	471	1,48,542	88,900
तमिलनाडु	3,00,00,000	-	4,72,500	-	18,274	9,746	3,04,90,774	9,746
त्रिपुरा	5,47,489	1,97,087	14,908	7,820	473	473	5,62,870	2,05,380
उत्तर प्रदेश	2,69,79,056	75,23,920	15,26,801	2,93,353	20,874	25,668	2,85,26,730	78,42,941
उत्तराखंड	15,87,870	4,75,192	59,212	8,849	2,602	2,500	16,49,684	4,86,541
पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	5,64,262	3,05,419	58,702	11,874	11,291	2,10,35,262	6,34,255
आरडीएसएस-कुल	19,79,30,131	4,38,10,453	52,52,692	14,84,450	2,05,475	1,69,379	20,33,88,297	4,54,64,282

टिप्पणी: फरवरी, 26 तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 4.54 करोड़ स्मार्ट मीटर और आरडीएसएस सहित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 5.97 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3221

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना

3221. श्रीमती संजना जाटवः

श्री प्रताप चंद्र षडगडीः

श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

श्री प्रवीण पटेलः

श्री पी. सी. मोहनः

श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभीः

कैप्टन बृजेश चौटाः

श्री दामोदर अग्रवालः

डॉ. विनोद कुमार बिंदः

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कार्बन बाजार के लिए मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) ढांचे के संचालन सहित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) राष्ट्रीय संचालन समिति सहित इस योजना के लिए स्थापित संस्थागत व्यवस्थाओं, प्रशासक के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और रजिस्ट्री के रूप में 'ग्रिड इंडिया' की भूमिका तथा इसकी वर्तमान परिचालन स्थिति क्या है;

(ग) नौ ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को 'निष्पादन, उपलब्धि और विनिमय' (पैट) योजना से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) में स्थानांतरित करने की प्रगति का राजस्थान राज्य, विशेष रूप से भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित, राज्य-वार ब्यौरा और पंजीकृत आबलिगेटेड संस्थाओं की संख्या और जारी एवं विनिमय किए गए कार्बन क्रेडिट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का ऑफसेट तंत्र का विस्तार करने या भारतीय कार्बन बाजार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ एकीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) बंगलुरु जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र, हरित उद्योग स्टार्टअप और शहरी जलवायु पहलों के माध्यम से भारतीय कार्बन बाजार में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं तथा इस योजना के तहत ऐसे शहरों में उद्योगों और शहरी स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चरणबद्ध रूपरेखा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क), (ख) : केंद्र सरकार ने जून, 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) अधिसूचित की थी। इसके क्रियान्वयन हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने सीसीटीएस के अंतर्गत अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली जारी की है, जिसके अंतर्गत सटीक एवं पारदर्शी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मापन, प्रतिवेदन एवं सत्यापन (एमआरवी) का एक व्यापक ढांचा स्थापित किया गया है। बीईई ने मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियों के लिए प्रत्यायन प्रक्रिया एवं पात्रता मानदंड तथा सीसीटीएस के अंतर्गत ऑफसेट तंत्र के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली भी जारी की है।

सीसीटीएस के लिए संस्थागत ढांचा पहले से ही प्रचालनरत है। इसमें राष्ट्रीय संचालन समिति शामिल है, जिसकी सह-अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव करते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रिड इंडिया रजिस्ट्री के रूप में, बीईई प्रशासक के रूप में तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) भारतीय कार्बन बाजार के लिए नियामक के रूप में कार्य कर रहा है।

(ग) : सात ऊर्जा सघन क्षेत्रों— एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, पल्प एवं पेपर, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी और टेक्सटाइल को पैट (निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार) स्कीम से सीसीटीएस में स्थानांतरित किया गया है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 490 बाध्यकारी संस्थाओं को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 64 संस्थाएँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं।

सभी 490 बाध्यकारी संस्थाओं का राज्यवार विवरण, जिसमें राजस्थान में स्थित संस्थाएँ भी शामिल हैं, **अनुबंध-1** पर है। वर्तमान में सीसीटीएस के अंतर्गत किसी भी बाध्यकारी संस्था को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

(घ) : वर्तमान में सीसीटीएस के अंतर्गत ऑफसेट तंत्र का और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार द्वारा पहले ही उन क्षेत्रों को अधिसूचित किया जा चुका है जो इस तंत्र के अंतर्गत परियोजना पंजीकरण के लिए पात्र हैं, जिनमें ऊर्जा, उद्योग, कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान, वानिकी, परिवहन, फ्यूजिटिव उत्सर्जन, निर्माण, सॉल्वेंट उपयोग तथा कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 एवं 6.4 के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पात्र तरह गतिविधियों को अंतिम रूप दे दिया है। स्वीकृत गतिविधियों की सूची **अनुबंध-II** पर है।

(ड) : सीसीटीएस के ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत गैर-बाध्यकारी संस्थाएँ, जिनमें उद्योग एवं शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं, कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से अनुमोदित शमन गतिविधियों का पंजीकरण करा सकती हैं। इसे सरल बनाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत नौ कार्यप्रणालियाँ विकसित की हैं, जो उत्सर्जन में कमी या निष्कासन के परिमाणीकरण एवं सत्यापन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इन कार्यप्रणालियों का विवरण **अनुबंध-III** पर है।

राज्य	कुल बाध्यकारी संस्थाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश	30
असम	8
बिहार	4
छत्तीसगढ़	11
दादरा और नगर हवेली	17
गुजरात	71
हरियाणा	9
हिमाचल प्रदेश	14
जम्मू एवं कश्मीर	1
झारखंड	7
कर्नाटक	22
केरल	3
मध्य प्रदेश	29
महाराष्ट्र	29
मेघालय	8
ओडिशा	18
पुदुचेरी	2
पंजाब	26
राजस्थान	64
तमिलनाडु	41
तेलंगाना	21
उत्तर प्रदेश	34
उत्तराखंड	6
पश्चिम बंगाल	15
कुल	490

राजस्थान राज्य में बाध्यकारी संस्थाएं

जिला	कुल बाध्यकारी संस्थाओं की संख्या
कोटा	4
अलवर	5
सिरोही	2
चित्तौड़गढ़	8
उदयपुर	3
अजमेर	1
पाली	4
बूंदी	1
कोटपुतली	1
नागौर	1
जोधपुर	1
श्रीगंगानगर	1
सीकर	2
भीलवाड़ा	23
बांसवाड़ा	6
झालावाड़	1
कुल	64

एनडीएआईपीए द्वारा अनुमोदित गतिविधियों की सूची

I. ग्रीनहाउस गैस शमन गतिविधियाँ:

1. भंडारण सहित नवीकरणीय ऊर्जा (केवल भंडारित घटक)
2. सौर तापीय ऊर्जा
3. अपतटीय पवन ऊर्जा
4. हरित हाइड्रोजन
5. संपीड़ित बायोगैस
6. ईंधन सेल जैसी उभरती गतिशीलता समाधान
7. ऊर्जा दक्षता के लिए उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी
8. संधारणीय विमानन ईंधन
9. कठिन-न्यूनन क्षेत्रों में प्रक्रिया सुधार के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकियाँ
10. ज्वारीय ऊर्जा, महासागर तापीय ऊर्जा, महासागर लवणता प्रवणता ऊर्जा, महासागर तरंग ऊर्जा तथा महासागर धारा ऊर्जा
11. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करंट पारेषण।

II. वैकल्पिक सामग्री:

12. हरित अमोनिया

III. निष्कासन गतिविधियाँ:

13. कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण।

सीसटीएस के अंतर्गत ऑफसेट तंत्र में कार्यप्रणालियों की सूची

1. बीएम ईएन 01.001 - नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड-संलग्न विद्युत उत्पादन
2. बीएम ईएन 01.002 – जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन उत्पादन
3. बीएम आईएन 02.001 – औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए ऊर्जा दक्षता एवं ईंधन परिवर्तन उपाय
4. बीएम आईएन 02.002 - बायोगैस से प्राप्त मीथेन का उपयोग कर हाइड्रोजन उत्पादन
5. बीएम डब्ल्यूए 03.001 - लैंडफिल मीथेन की पुनर्प्राप्ति
6. बीएम डब्ल्यूए 03.002 - लैंडफिल गैस का फ्लेरिंग अथवा उपयोग
7. बीएम एजी 04.002 - घरेलू एवं छोटे फार्मों में पशुधन और गोबर प्रबंधन से मीथेन की पुनर्प्राप्ति
8. बीएम एफआर 05.001 - क्षतिग्रस्त मैंग्रोव आवासों का वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण
9. बीएम एफआर 05.002 - आर्द्रभूमियों को छोड़कर अन्य भूमि का वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3227

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

बिजली की आपूर्ति की उपलब्धता और गुणवत्ता

3227. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अब तक देश भर में बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना में वितरण उपयोगिताओं (डिस्कॉम) की दक्षता में सुधार पर जोर दिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के उद्देश्य क्या हैं और अब तक, विशेष रूप से असम राज्य में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस योजना के तहत वितरण घाटे को कम करने के लिए उन्नत तकनीकों को लागू किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 520.51 गीगावाट है (जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार)। भारत ने अप्रैल, 2014 से अब तक 296.388 गीगावाट नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी की गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता की स्थिति में पहुंच गया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण अनुबंध पर है। 'ऊर्जा आपूर्ति' सामान्यतः 'ऊर्जा आवश्यकता' के अनुरूप रही है और इसमें केवल मामूली अंतर प्रायः राज्य के पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

इसके अतिरिक्त, चूँकि, विद्युत एक समवर्ती विषय है, अतः किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों/जिलों/शहरों को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। सभी उपभोक्ताओं/क्षेत्रों/जिलों/शहरों को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न स्रोतों से उपयुक्त मात्रा में विद्युत की व्यवस्था करना संबंधित वितरण लाइसेंसधारियों की जिम्मेदारी है।

भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करना है।

आरडीएसएस का एक प्रमुख उद्देश्य समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना तथा औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) के बीच के अंतर को शून्य करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर स्कीम के अंतर्गत वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु 1.53 लाख करोड़ ₹. तथा स्मार्ट मीटरिंग के लिए 1.3 लाख करोड़ ₹. के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

स्कीम के अंतर्गत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं:

- नए उपकेंद्रों की स्थापना/उपकेंद्रों का उन्नयन संबंधी कार्य
- नए वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डीटी) की संस्थापना तथा मौजूदा डीटी की क्षमता वृद्धि
- पुराने कंडक्टरों को बदलना
- एचटी/एलटी लाइनों का भूमिगतकरण
- कृषि फीडरों का पृथक्करण

इसके अतिरिक्त, स्मार्ट मीटरिंग कार्य से वितरण यूटिलिटी की राजस्व संग्रह दक्षता को बढ़ाने में मदद मिलती है तथा स्वचालित ऊर्जा लेखांकन, बेहतर लोड पूर्वानुमान और ऊर्जा पारगमन के लिए सक्षम पारितंत्र उपलब्ध कराने जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। स्कीम के अंतर्गत 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग तथा 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख डीटी के लिए स्मार्ट सिस्टम मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब तक आरडीएसएस के अंतर्गत 4.55 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देश भर में कुल 5.97 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

असम राज्य के लिए स्कीम के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना कार्यों के लिए 3,395 करोड़ ₹. तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 4,050 करोड़ ₹. की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। असम राज्य के लिए एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के तहत 64.45 लाख स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 28 फरवरी, 2026 तक 50.36 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

स्कीम के अंतर्गत निधि जारी करना वितरण यूटिलिटी के प्रचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर निर्भर करता है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपर्युक्त कदमों के अतिरिक्त इससे सरकारी सब्सिडी और सरकारी विभागों के बकायों के समय पर भुगतान, टैरिफ आदेशों का नियमित जारी होना, खातों का समय पर प्रकाशन, विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन न होना आदि में भी अनुशासन लाने में सहायता मिली है।

केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 2020-21 के 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 15.04% हो गई हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत आपूर्ति लागत एवं औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर) अंतर 0.69 ₹./ किलोवाट घंटा से घटकर 0.06 ₹. /किलोवाट-घंटा रह गया है। इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप डिस्कॉम ने पहली बार 2,701 करोड़ ₹. का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है।

असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) ने भी एटीएंडसी हानि को वित्त वर्ष 2020-21 में 18.55% से घटाकर वित्त वर्ष 2024-25 में 15.44% तक कम किया है, तथा एसीएस-एआरआर अंतर को वित्त वर्ष 2020-21 के 0.32 से घटाकर वित्त वर्ष 2024-25 में (0.26) कर दिया है।

विगत तीन वित्तीय वर्षों एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में देश में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण

वित्त वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]			
	ऊर्जा की आवश्यकता	ऊर्जा की आपूर्ति की गई	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1
2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	14,27,436	14,27,009	427	0.03

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3232

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन क्षमता

3232. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी, 2026 तक सभी स्रोतों से संयुक्त रूप से 50,000 मेगावाट से अधिक विद्युत या विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस वृद्धि के साथ भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 5,20,510.95 मेगावाट हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या नवीकरणीय स्रोतों पर केंद्रित विद्युत उत्पादन कुल उत्पादन क्षमता 2,63,189.33 मेगावाट का लगभग 50.65 प्रतिशत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 52,536.49 मेगावाट की वृद्धि की है। स्रोत-वार विवरण अनुबंध-I पर है।

(ख) एवं (ग) : दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार, देश की कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 5,20,511 मेगावाट है, जिसमें 2,48,542 मेगावाट (47.7%) जीवाश्म ईंधन स्रोतों से तथा 2,71,969 मेगावाट (52.3%) गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है। कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी 2,63,189 मेगावाट (50.6%) है। अखिल भारतीय संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता (31.01.2026 की स्थिति के अनुसार) का विवरण अनुबंध-II पर है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान (दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक) अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि का विवरण:

स्रोत	विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि (मेगावाट में)
कोयला	8,810
गैस	0
कुल तापविद्युत	8,810
जलविद्युत	3,370
पवन	4,612.58
सौर	34,955.24
बायो पावर	30.61
लघु जलविद्युत	58.06
कुल नवीकरणीय	43,026.49
कुल न्यूक्लियर	700
कुल क्षमता वृद्धि	52,536.49

दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन क्षमता का विवरण:

श्रेणी		संस्थापित उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)	कुल में से % हिस्सा
जीवाश्म ईंधन	कोयला	2,21,210	42.5%
	लिग्नाईट	6,620	1.3%
	गैस	20,122	3.9%
	डीजल	589	0.1%
	कुल जीवाश्म ईंधन :	2,48,542	47.7%
गैर-जीवाश्म ईंधन	आरईएस (हाईड्रो सहित)	2,63,189	50.6%
	हाईड्रो	51,165	9.8%
	पवन, सौर एवं अन्य आरई	2,12,025	40.7%
	पवन	54,650	10.5%
	सौर	1,40,602	27.0%
	बायोमास पावर/कोजन.	10,757	2.1%
	अपशिष्ट से ऊर्जा	857	0.2%
	लघु हाईड्रो	5,159	1.0%
	न्यूक्लियर	8,780	1.7%
	कुल गैर-जीवाश्म ईंधन:	2,71,969	52.3%
कुल संस्थापित क्षमता (जीवाश्म ईंधन एवं गैर-जीवाश्म ईंधन)		5,20,511	100%

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3244
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

पनबिजली परियोजनाओं पर भू-राजस्व उपकर

†3244. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना की जानकारी है जिसमें भाखड़ा, पोंग और ब्यास-सतलुज प्रणाली जैसी अंतर-राज्यीय और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं सहित जल विद्युत और बांध परियोजनाओं पर भू-राजस्व उपकर लगाने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से यह चिंता व्यक्त करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उपकर मौजूदा समझौतों, सांविधिक व्यवस्थाओं और प्रशुल्क ढांचे के अनुरूप नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई करने की योजना है;

(ग) क्या सरकार ने लाभार्थी राज्यों और उपभोक्तों द्वारा देय विद्युत प्रशुल्क पर उपकर के संभावित प्रभाव की जांच की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का इस मामले के समाधान के लिए संबंधित राज्य सरकारों और हितधारक राज्यों के साथ परामर्श करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : हिमाचल प्रदेश सरकार (जीओएचपी) ने दिनांक 01.12.2025 की अधिसूचना के माध्यम से राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार वार्षिक भू-राजस्व को जल विद्युत परियोजना के औसत बाजार मूल्य के दो प्रतिशत की दर से अधिसूचित किया है। परियोजना हेतु उपयोग की जा रही भूमि के अधिभोगी द्वारा, किसी भी इच्छुक हितधारक से प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के उपरांत, यह भू-राजस्व दिनांक 01.01.2026 से हिमाचल प्रदेश सरकार को देय होगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 02.02.2026 और 03.02.2026 को, हिमाचल प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं के औसत बाजार मूल्य के संबंध में उपकर की वार्षिक दर अधिसूचित की। अधिसूचना में अन्य के अलावा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) जैसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) और भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख) : दिनांक 01.12.2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद, एसजेवीएन लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने राज्य सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। इसके बाद, इन सीपीएसयू और बीबीएमबी ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश, शिमला के उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिकाएं भी दायर की हैं।

(ग) : विद्युत टैरिफ पर भू-राजस्व का संभावित प्रभाव संबंधित सीपीएसयू और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा आकलित किया गया है और इसका विवरण **अनुबंध** पर है।

(घ) : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित भू-राजस्व को पहले ही संबंधित सीपीएसयू और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के समक्ष चुनौती दी जा चुकी है।

विद्युत टैरिफ पर उपकर का संभावित प्रभाव

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन	सीपीएसयू/संगठन का नाम	उपकर का संभावित प्रभाव	
			हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व उपकर (करोड़ रुपये में)	टैरिफ पर प्रभाव (रुपये/केडबल्यूएच)
1.	बैरास्यूल	एनएचपीसी	26.71	0.40
2.	चमेरा-I	एनएचपीसी	80.14	0.48
3.	चमेरा-II	एनएचपीसी	44.52	0.30
4.	चमेरा-III	एनएचपीसी	34.28	0.31
5.	पार्वती-III	एनएचपीसी	77.17	0.39
6.	पार्वती-II	एनएचपीसी	118.72	0.38
7.	नाथपा झाकरी एचपीएस	एसजेवीएन	222.60	0.39
8.	रामपुर	एसजेवीएन	61.14	0.38
9.	कोलडैम	एनटीपीसी	118.72	0.45
10.	पोंग पावर हाइड्रो, बीएसएल परियोजना और भाखड़ा बांध	बीबीएमबी	433.15	0.43

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3296
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

गैस इन्सुलेटेड उप-केंद्र

†3296. श्री करण भूषण सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान गैस इंसुलेटेड उप-केंद्रों (जीआईएस) सहित स्थापित नए उप-केंद्रों और उनसे संबंधित 66 केवी/33 केवी/22 केवी/11 केवी पारेषण एवं वितरण लाइनों की राज्यवार और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिलावार तथा कैसरगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विशेष संदर्भ में संख्या कितनी है;

(ख) आईपीडीएस के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान नवीनीकृत और आधुनिक बनाए गए विद्यमान उप-केंद्रों और लाइनों की राज्यवार और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिलावार तथा कैसरगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विशेष संदर्भ में संख्या कितनी है; और

(ग) योजना के अंतर्गत नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए विद्यमान उप-केंद्रों और लाइनों के चयन हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार (जीओआई) ने शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) वर्ष 2014 में शुरू की और इस स्कीम के अंतर्गत 28,731 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को निष्पादित किया गया। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई है। आईपीडीएस के अंतर्गत निष्पादित अवसंरचना कार्यों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-1 पर है।

यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर आईपीडीएस के अंतर्गत कार्यों को सर्कल-वार संस्वीकृति दी गई थी। कैसरगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईडीसी गोंडा सर्कल के गोंडा और बहराइच जिले के शहरी क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर और विद्युत वितरण मंडल (ईडीसी), गोंडा में आईपीडीएस के अंतर्गत कार्यान्वित प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	माइलस्टोन का नाम	यूनिट	निष्पादित परियोजनाएं (राष्ट्रीय स्तर)	निष्पादित परियोजनाएं (ईडीसी गोंडा)
1	नए सब-स्टेशन (जीआईएस सहित)	सं.	1,086	9
2	सब-स्टेशन का संवर्धन	सं.	1,609	3
3	नई हाई टेंशन (एचटी) लाइनें^	सीकेएम	23,476	149
4	एरियल बंड केबल (एबीसी)	सीकेएम	64,241	55
5	नई लो टेंशन (एलटी) लाइनें	सीकेएम	10,408	7
6	भूमिगत (यूजी) केबल	केएम	22,023	10
7	नए वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी)	सं.	59,992	127

^जिसमें 66/33/22/11 केवी लाइनें शामिल हैं

उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूदा सब-स्टेशनों और लाइनों के नवीनीकरण सहित अवसंरचना कार्यों का सर्कल-वार विवरण, जिसमें ईडीसी गोंडा सर्कल भी शामिल है, **अनुबंध-II** पर है।

(ग) : राज्य वितरण यूटिलिटीयों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के आधार पर, शहरी क्षेत्रों के लिए उनकी आवश्यकता का आकलन करते हुए, और राज्य वितरण सुधार समिति (डीआरसी) की सिफारिश के आधार पर, स्कीम के अंतर्गत गठित सचिव (विद्युत मंत्रालय) की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।

आईपीडीएस के अंतर्गत निष्पादित अवसंरचना कार्यों का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य	नए पीएसएस (सं.)	जीआईएस सब-स्टेशन (आईपीडीएस की जीआईएस परियोजना के तहत) (सं.)	सबस्टेशनों की संवर्धन (सं.)	नए डीटी (सं.)	नई एचटी लाइनें (सीकेएम)	नई एलटी लाइनें (सीकेएम)	एबीसी* (केएम)	भूमिगत केबल (केएम)	एचटी लाइनों का संवर्धन/ पुनर्गठन (सीकेएम)	एलटी लाइनों का संवर्धन/पुनर्गठन (सीकेएम)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	104	24	96	2,856	982	384	266	39	315	185
3	अरुणाचल प्रदेश	1	-	-	470	312	234	67	4	74	08
4	असम	13	2	39	686	617	179	2,454	5	546	90
5	बिहार	64	20	152	4,969	1,704	8	8,415	665	1,355	01
6	छत्तीसगढ़	32	-	64	1,667	1,069	63	3,249	43	148	42
7	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	गोवा	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
9	गुजरात	19	-	55	6,111	539	98	5,300	2,088	522	12
10	हरियाणा	5	1	5	1,001	283	39	1,052	290	228	94
11	हिमाचल प्रदेश	1	1	2	390	76	66	383	-	225	171
12	जम्मू और कश्मीर	17	3	46	816	155	46	1,036	2	156	79
13	झारखंड	26	-	42	1,675	539	0	2,174	134	349	-
14	कर्नाटक	7	6	2	3,899	950	457	2,068	1,300	974	5,625
15	केरल	3	-	12	885	444	199	1,188	211	194	2,724
16	लद्दाख	-	-	4	82	25	-	62	-	11	-
17	मध्य प्रदेश	58	-	133	4,391	2,017	1,444	3,450	9	638	2,122
18	महाराष्ट्र	114	-	116	5,048	1,381	951	2,355	4,602	282	459
19	मणिपुर	4	-	2	200	130	0	989	-	-	-
20	मेघालय	6	2	2	53	75	57	0	-	11	28
21	मिज़ोरम	2	-	2	55	135	136	91	-	12	57
22	नागालैंड	1	-	1	121	131	95	0	-	-	-
23	ओडिशा	14	-	92	1,983	754	-	3,405	18	994	-
24	पुडुचेरी	-	-	0	50	4	-	-	12	-	-
25	पंजाब	-	-	0	1,757	305	91	286	1	1,193	607
26	राजस्थान	127	4	195	2,395	664	81	79	2,817	158	321
27	सिक्किम	1	-	2	39	5	18	28	92	01	03
28	तमिलनाडु	68	7	41	1,094	4,266	1,747	153	1,747	843	2,702
29	तेलंगाना	54	-	54	4,284	853	1,634	352	216	401	1,304
30	त्रिपुरा	6	-	1	437	40	11	365	218	61	206
31	उत्तर प्रदेश	195	1	245	7,929	3,689	2,359	9,660	5,126	755	1,509
32	उत्तराखंड	1	10	37	295	179	-	673	459	152	-
33	पश्चिम बंगाल	50	8	167	4,354	1,153	11	14,641	1,925	1,730	117
	कुल	994	92	1,609	59,992	23,476	10,408	64,241	22,023	12,328	18,466

*एबीसी : एरियल बंड केबल

आईपीडीएस के अंतर्गत निष्पादित अवसंरचना कार्यों का सर्कल-वार विवरण

क्रम सं.	सर्कल का नाम	नए एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन (सं.)	जीआईएस सब-स्टेशन (आईपीडीएस की जीआईएस परियोजना के तहत) (सं.)	सबस्टेशनों का संवर्धन (सं.)	नए डीटी (सं.)	नई एचटी लाइनें (सीकेएम)	नई एलटी लाइनें (सीकेएम)	एबीसी* (केएम)	भूमिगत केबल (केएम)	एचटी लाइनों का संवर्धन/ पुनर्गठन (सीकेएम)	एलटी लाइनों का संवर्धन/पुनर्गठन (सीकेएम)
डीवीवीएनएल											
1	ईडीसी आगरा	6	0	4	213	109	263	60	0	15	0
2	ईडीसी अलीगढ़	0	0		114	24	134	34	0	26	0
3	ईडीसी बांदा	1	0	0	111	42	51	104	0	0	0
4	ईडीसी एटा	0	0	6	227	60	261	49	0	12	0
5	ईडीसी इटावा	1	0	2	187	40	118	151	0	34	0
6	ईडीसी फरुखाबाद	2	0	1	177	49	167	138	1	30	0
7	ईडीसी फिरोजाबाद	2	0	8	65	41	70	16	0	0	0
8	ईडीसी हमीरपुर	0	0	0	150	35	106	171	0	0	0
9	ईडीसी हाथरस	1	0	0	108	61	130	16	0	7	0
10	ईडीसी झांसी	1	0	0	277	101	112	249	0	14	0
11	ईडीसी कानपुर	1	0	1	182	87	106	101	3	28	0
12	ईडीसी मैनपुरी	1	0	5	158	59	206	36	0	44	0
13	ईडीसी मथुरा	1	0	0	153	77	126	130	0	60	0
14	ईडीसी ओराई	0	0	2	72	22	81	35	0	9	0
15	ईयूडीसी अलीगढ़	2	0	0	0	14	0	0	2	0	0
16	ईयूडीसी मथुरा	0	0	0	32	1	7	14	201	5	0
17	ईयूडीसी झांसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (क)		19	0	29	2226	822	1938	1304	207	284	0
एमवीवीएनएल											
1	बरेली	3	0	7	200	247	73	337	19	10	63
2	ईडीसी बदायूं	3	0	4	133	77	14	21	19	0	278
3	ईडीसी बाराबंकी	5	0	3	75	102	0	126	6	0	51
4	ईडीसी फैजाबाद	6	0	1	95	171	51	445	42	9	49
5	ईडीसी गोंडा	9	0	3	127	149	7	55	10	7	550
6	ईडीसी हरदोई	4	0	5	66	147	20	184	5	0	0
7	ईडीसी रायबरेली	1	0	0	64	20	41	0	18	0	105
8	ईडीसी शाहजहांपुर	4	0	6	130	105	13	176	5	0	0
9	ईडीसी सीतापुर	6	0	7	97	137	31	233	20	0	99
10	ईडीसी सुल्तानपुर	5	0	0	26	76	13	74	4	9	17

11	ईडीसी उन्नाव	7	0	2	127	146	18	121	26	7	104
12	लखनऊ	2	0	0	55	38	54	54	30	0	109
13	ईडीसी अयोध्या	0	0	3	26	0	0	0	770	0	0
कुल (ख)		55	0	41	1221	1415	335	1826	974	42	1425
पीयूवीवीएनएल											
1	ईडीसी आजमगढ़	4	0	9	40	45	0	86	13	0	0
2	ईडीसी बस्ती	3	0	3	49	61	0	99	5	3	0
3	ईडीसी देवरिया	4	0	0	62	90	0	78	9	0	0
4	ईडीसी फतेहपुर	1	0	5	57	43	0	108	38	0	0
5	ईडीसी गाजीपुर	2	0	5	65	31	0	84	4	0	0
6	ईडीसी गोरखपुर	1	0	5	29	20	0	65	1	0	0
7	ईडीसी I इलाहाबाद	5	0	3	33	56	0	137	15	0	0
8	ईडीसी II इलाहाबाद	3	0	3	38	11	0	151	18	0	0
9	ईडीसी जौनपुर	2	0	2	81	51	0	176	12	10	0
10	ईडीसी मऊ	2	0	7	69	31	0	138	9	27	0
11	ईडीसी मिर्जापुर	3	0	3	17	29	0	56	4	0	0
12	ईडीसी सोनभद्र	3	0	4	37	24	0	87	8	0	0
13	ईडीसी वाराणसी	2	0	1	41	9	0	136	23	12	0
14	ईयूडीसी इलाहाबाद	9	0	21	72	27	0	246	351	6	0
15	ईयूडीसी गोरखपुर	3	0	5	107	7	0	150	343	6	0
16	ईयूडीसी वाराणसी	2	1	12	111	1	0	411	2247	0	0
कुल (ग)		49	1	88	908	536	0	2208	3100	64	0
केसको											
1	ईडीसी कानपुर	10	0	40	1503	91	24	415	306	365	84
कुल (घ)		10	0	40	1503	91	24	415	306	365	84
पीवीवीएनएल^											
1	पीवीवीएनएल (गैर-आरएपीडीआरपी शहरी शहर)	53	0	34	1479	472	33	2839	498	0	0
2	पीएवीवीएनएल-आरएपीडीआरपी शहरी शहर)	10	0	13	593	355	29	1070	38	0	0
कुल (ङ)		63	0	47	2072	827	62	3909	536	0	0
महा योग (क+ख+ग+घ+ङ)		196	1	245	7930	3691	2359	9662	5123	755	1509

^ आईपीडीएस के अंतर्गत पीवीवीएनएल डिस्कॉम में परियोजना क्षेत्रवार [गैर-आरएपीडीआरपी शहरी शहर (82 शहर) और आर-एपीडीआरपी शहरी शहर (55 शहर)] के रूप में स्कीम को संस्वीकृति दी गई।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3302

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत आपूर्ति विहीन गाँव

†3302. श्री सुनील बोस:

श्री शफी परम्बिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विद्युत आपूर्ति विहीन गाँवों की राज्यवार संख्या विशेषकर कर्नाटक विशेषकर मैसूर और चामराजनगर जिलों में संख्या कितनी है और इन गाँवों के विद्युतीकरण में आने वाली बाधाएं क्या हैं/इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गाँवों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों के विद्युतीकरण के लिए उठाए जा रहे कदम क्या हैं और इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है;

(ङ) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गाँवों के विद्युतीकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो वर्तमान में केंद्र सरकार की सहायता से चल रहे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (च): चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में है। भारत सरकार वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

डीडीयूजीजेवाई का उद्देश्य प्रत्येक आबाद गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव को विद्युत से जोड़ना और ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना था। सौभाग्य का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना था।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक देश में आबाद सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों (कर्नाटक सहित) को विद्युतीकृत कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया जिसमें कर्नाटक राज्य के 39 गांव शामिल हैं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डीडीयूजीजेवाई तथा तत्पश्चात सौभाग्य के अंतर्गत, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण कर लिया गया था। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया जिसमें कर्नाटक राज्य के 3,83,798 घर शामिल हैं। सौभाग्य के दौरान विद्युतीकृत घरों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है। दोनों स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई हैं।

राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर आरडीएसएस के अंतर्गत, यथा व्यवहार्य प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित घरों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत अनुसूचित जनजातियों (एसटी) से संबंधित घरों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जातियों (एससी) से संबंधित घरों तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित घरों सहित 13.65 लाख घरों के लिए 6,521 करोड़ रुपये की ग्रिड विद्युतीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें कर्नाटक राज्य में 6,903 घरों के विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत 45 करोड़ रुपये शामिल हैं। उपर्युक्त में से, आज तक कुल 3.42 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस स्कीम की समापन तिथि 31 मार्च, 2028 है।

पिछले 3 वर्षों में डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य की पूर्ववर्ती स्कीमों के अंतर्गत कार्यान्वित घरेलू कार्यों के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत जारी निधि का राज्यवार विवरण **अनुबंध-III** पर है। फरवरी, 2026 तक आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्यों का राज्य-वार विवरण, जिसमें निधि परिव्यय एवं जारी राशि का विवरण शामिल है, **अनुबंध-IV एवं V** पर है। कर्नाटक राज्य के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरों का जिलावार विवरण **अनुबंध-VI** पर है।

डीडीयूजीजेवाई के तहत विद्युतीकृत गांव

क्रम सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू और कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	18,374

सौभाग्य के दौरान विद्युतीकृत घर

क्रम सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिज़ोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
	कुल	2,86,13,424

*सौभाग्य स्कीम के तहत वित्त पोषित नहीं किया गया है

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्यों के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत जारी राज्यवार निधि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि (करोड़ रुपये में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.96
अरुणाचल प्रदेश	76.11
असम	981.13
बिहार	48.05
छत्तीसगढ़	5.13
हिमाचल प्रदेश	12.52
जम्मू और कश्मीर	158.78
झारखंड	196.69
लद्दाख	8.78
मध्य प्रदेश	2.74
मणिपुर	95.45
मेघालय	99.06
नागालैंड	69.29
ओडिशा	4.88
राजस्थान	157.51
त्रिपुरा	44.24
उत्तर प्रदेश	103.22
पश्चिम बंगाल	49.75
कुल	2117.29

आरडीएसएस के तहत घरेलू विद्युतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रूपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रूपये)	संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर
क.	अतिरिक्त घर				
1	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	15,475	15,319
2	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506	0
3	असम	785.55	706.99	1,27,111	16,748
4	बिहार	238.86	143.32	35,467	0
5	छत्तीसगढ़	166.55	99.93	34,078	9,084
6	जम्मू और कश्मीर	106.70	96.03	15,359	0
7	झारखंड	25.16	15.09	4,853	804
8	केरल	0.33	0.20	40	11
9	मध्य प्रदेश	1.13	0.68	196	21
10	मणिपुर	214.44	193.00	36,972	0
11	मेघालय	435.70	392.13	50,501	0
12	मिज़ोरम	79.90	71.91	15,167	0
13	नागालैंड	69.55	62.59	10,004	0
14	राजस्थान	1,526.94	916.16	3,38,702	91,534
15	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487	1,317
	कुल (क)	4,678.19	3,328.60	9,41,918	134,838
ख.	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम				
1	हिमाचल प्रदेश	6.08	5.47	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154	0
	कुल (ख)	39.34	35.41	2,837	0
ग	पीएम-जनमन				
ग 1	आरडीएसएस के तहत				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	24,967	24,925
2	छत्तीसगढ़	38.16	22.90	7,077	7,160
3	झारखंड	74.13	44.48	12,442	11,504
4	कर्नाटक	3.76	2.26	1,615	1,546
5	केरल	0.86	0.52	345	314
6	मध्य प्रदेश	148.83	89.28	30,216	27,202
7	महाराष्ट्र	26.61	15.97	8,556	9,216
8	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	16,023
9	तमिलनाडु	29.89	17.93	8,603	7,053
10	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,884
11	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	11,692
12	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	195

13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669	669
	उप-जोड़ (ग1)	521.59	331.57	1,27,987	1,21,383
ग 2	राज्य योजना के तहत				
1	गुजरात	0	0	0	6,626
2	ओडिशा	0	0	0	5,203
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0	3,372
	उप-जोड़ (ग2)	0	0	0	15,201
ग 3	आरडीएसएस के तहत सार्वजनिक स्थान				
1	मध्य प्रदेश	0	0	25	20
	उप-जोड़ (ग3)	0	0	25	20
	कुल (ग=ग1+ग2+ग3)	521.74	331.66	1,28,012	1,36,604
घ.	डीए-जेजीयूए				
घ 1	आरडीएसएस के तहत				
1	आंध्र प्रदेश	19.12	11.47	4,921	4,527
2	अरुणाचल प्रदेश	8.20	7.38	1,938	1,579
3	बिहार	61.40	36.84	7,117	752
4	छत्तीसगढ़	218.44	131.06	39,579	15,456
5	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.45	93	10
6	जम्मू और कश्मीर	89.84	80.85	13,824	0
7	झारखंड	92.44	55.47	19,467	0
8	कर्नाटक	41.00	24.60	5,288	1,429
9	केरल	5.73	3.44	1,080	248
10	मध्य प्रदेश	305.66	183.40	59,172	15,981
11	महाराष्ट्र	23.60	14.16	6,961	5,228
12	राजस्थान	197.11	118.26	82,842	492
13	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525	17,465
14	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677	6,678
15	उत्तर प्रदेश	32.21	19.32	6,867	65
16	उत्तराखंड	0.84	0.75	207	157
	उप-जोड़ (घ1)	1,247.50	790.52	2,83,558	70,067
घ 2	राज्य योजना के तहत				
1	ओडिशा	0	0	0	0
	उप-जोड़ (घ2)	0	0	0	0
घ 3	आरडीएसएस के तहत सार्वजनिक स्थान				
1	आंध्र प्रदेश	0.70	0.42	182	129
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9	9
3	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.05	7	3
4	झारखंड	8.25	4.95	1,910	0
5	केरल	0.15	0.09	17	0
6	मध्य प्रदेश	3.32	1.99	650	100
7	राजस्थान	0.70	0.42	195	0
8	तेलंगाना	2.90	1.74	672	0
9	त्रिपुरा	2.31	2.08	512	0
10	उत्तर प्रदेश	0.13	0.08	30	7

11	उत्तराखंड	0.08	0.07	19	3
	उप-जोड़ (घ3)	18.63	11.92	4,203	251
घ4	राज्य योजना के तहत सार्वजनिक स्थान				
1	ओड़िशा	0	0	0	0
	उप-जोड़ (घ4)	0	0	0	0
	कुल (घ=घ1+घ2+घ3+घ4)	1,266.13	802.44	2,87,761	70,318
ङ.	पीएम-अजय				
1	आंध्र प्रदेश	3.50	2.10	811	437
2	झारखंड	6.141	3.684	1,782	0
3	मध्य प्रदेश	0.002	0.001	6	3
4	महाराष्ट्र	6.810	4.086	2,012	361
	कुल (ङ)	16.45	9.87	4,611	801
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	6,521.85	4,507.98	13,65,139	3,42,561

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्यों के लिए जारी की गई निधि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी जीबीएस (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	43.15
अरुणाचल प्रदेश	13.20
असम	193.03
बिहार	53.02
छत्तीसगढ़	11.28
हिमाचल प्रदेश	0.54
जम्मू और कश्मीर	10.21
झारखंड	22.54
कर्नाटक	5.34
केरल	1.97
मध्य प्रदेश	102.43
महाराष्ट्र	16.70
मणिपुर	0.00
मेघालय	0.00
मिज़ोरम	0.00
नागालैंड	17.09
राजस्थान	11.92
तमिलनाडु	8.83
तेलंगाना	35.65
त्रिपुरा	45.29
उत्तर प्रदेश	106.74
उत्तराखंड	0.49
कुल	699.43

कर्नाटक के लिए आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत घरों का जिला-वार विवरण

डीएजेजीयूए				
डिस्कॉम	जिला	कुल घरों की संख्या	संस्वीकृति लागत (लाख में)	प्रगति (घरों की संख्या)
सीईएससी	मैसूर	497	319.36	497
	चामराजनगर	2510	3633.07	428
	कोडागु	675	644.48	231
पीवीटीजी				
डिस्कॉम	जिला	कुल घरों की संख्या	संस्वीकृति लागत (लाख में)	प्रगति (घरों की संख्या)
सीईएससी	मैसूर	805	185.17	852
	चामराजनगर	197	45.31	176
	कोडागु	604	138.93	509

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3303

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

डीवीसी द्वारा निर्मित स्वामी विवेकानंद सेतु के निर्माण में अनियमितताएं

†3303. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा निर्मित स्वामी विवेकानंद सेतु (आरओबी), बीटीपीएस बोकारो (झारखंड) के निर्माण में भारतीय रेल पुल नियमावली, मानक निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा दिशानिर्देश और श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सेतु में निर्माण के लिए स्वीकृत लागत कितनी है, निविदा मूल्य क्या है, संशोधित लागत कितनी है, आरंभ और समापन की नियत तिथि क्या हैं और वास्तविक समापन तिथि संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के लिए किसी तृतीय-पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा संपरीक्षा, पटरी संरक्षा स्वीकृति, सीआरएस अनुमोदन और डिजाइन आधार रिपोर्ट (डीबीआर) अनुमोदन प्राप्त किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजना किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा निष्पादित की गई थी और यदि हां, तो इसमें शामिल कंपनियों का ब्यौरा क्या है और अब तक किए गए कुल भुगतान की राशि कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) या किसी अन्य अभिकरण द्वारा उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच/पड़ताल का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने सूचित किया है कि उसे गिरिडीह से माननीय संसद सदस्य से स्वामी विवेकानंद सेतु (रेल ओवर ब्रिज), बीटीपीएस बोकारो, झारखंड के निर्माण में कथित अनियमितताओं के बारे में शिकायत मिली है। शिकायत दिनांक 14.02.2026 और 25.02.2026 के पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसमें परियोजना के निष्पादन के दौरान निर्माण गुणवत्ता मानकों, सुरक्षा दिशानिर्देशों और श्रम कानूनों के कथित उल्लंघनों की उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध किया गया था।

(ख) : "बीटीपीएस, डीवीसी बोकारो में गोमोह-बरकाकाना रेलवे लाइन पर रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) सहित इसके पहुंच मार्ग के साथ कोनार नदी पर पुल के निर्माण" के लिए अनुमोदित परियोजना लागत 149.30 करोड़ रुपये थी। डीवीसी ने उपर्युक्त कार्य के लिए मेसर्स राइट्स लिमिटेड (राइट्स) को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया। राइट्स ने मेसर्स सुप्रीम-बीकेबी-डीईसीओ (जेवी) को 134.22 करोड़ रुपये में निष्पादन अनुबंध अर्वाइ किया, जो एल-1 बोलीदाता था और इसलिए, परियोजना की लागत को संशोधित कर 149.90 करोड़ रुपये कर दिया गया (जिसमें सेवा कर, शिक्षा उपकर और एनआईटी के प्रकाशन की लागत शामिल है)। परियोजना का कार्य दिनांक 25.02.2015 से शुरू हुआ और पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 24.02.2018 थी। तथापि, राइट्स के अनुरोध पर शेष कार्य को पूरा करने हेतु समय-विस्तार (ईओटी) दिनांक 31.03.2026 तक दिया गया था। सम्पूर्ण कार्य तीन चरणों में किया गया है। पहले चरण में, कोनार नदी के ऊपर पुल का हिस्सा तथा इसके पहुंच मार्ग और रैम्प-1 को पूरा किया गया था और दिनांक 26.01.2020 को यातायात के लिए खोल दिया गया था। चरण-II में गोमोह-बरकाकाना रेलवे लाइन पर रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का कार्य दिनांक 27.02.2026 को पूरा हो गया है और चरण-III में बीटीपीएस से पुल को जोड़ने वाले रैप-2 से संबंधित कार्य पूरा किया जाना है।

(ग) : डीवीसी ने सूचित किया है कि तीसरे पक्ष की गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी) सिंद्री, झारखंड; सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (सीईआईएल) और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ), लखनऊ द्वारा किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) द्वारा गर्डर लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। ईसीआर ने ट्रैक मंजूरी के सत्यापन तथा आयामों की अनुसूची (एसओडी) और अन्य लागू रेलवे मानकों के अनुपालन के बाद सामान्य व्यवस्था ड्राइंग (जीएडी) को भी मंजूरी दे दी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा निरीक्षण समान प्रकृति के आरओबी कार्य को नियंत्रित करने वाले मौजूदा रेलवे दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य नहीं है। डिजाइन रिपोर्ट को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पटना द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(घ) : डीवीसी ने मेसर्स राइट्स लिमिटेड (राइट्स) को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया, जिसने मेसर्स सुप्रीम-बीकेबी-डेको (जेवी) को कार्य निष्पादन के लिए अनुबंध अर्वाइ किया। परियोजना के लिए ठेकेदार को अब तक किया गया कुल भुगतान 144.00 करोड़ रुपये है।

(ङ) : वर्तमान में, इस मामले की कोई पूछताछ या जांच विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3306
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

स्मार्ट मीटर योजना

3306. श्री राजकुमार रोटः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन राज्यों में वर्तमान में स्मार्ट मीटर योजना लागू है;

(ख) स्मार्ट मीटरों को लगाए जाने पर हुए व्यय सहित स्मार्ट मीटरों की संख्या का राज्यवार और विशेषकर राजस्थान में जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक उपभोक्ता के लिए स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन स्मार्ट मीटरों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया सहित ऐसी शिकायतों की संख्या का राजस्थान में जिलावार ब्यौरे सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के साथ-साथ राज्य योजनाओं सहित अन्य स्कीमों के अंतर्गत देश भर में स्मार्ट मीटरिंग कार्यान्वित की जा रही है। आरडीएसएस के अंतर्गत, राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुरोध के आधार पर 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.11 लाख फीडर्स और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्य संस्वीकृत किए गए हैं, जो कुल मिलाकर 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर होते हैं तथा 4.55 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्थापित किए गए हैं। देश भर में कुल 5.97 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्थापित किए गए हैं। राजस्थान सहित राज्य वार विवरण अनुबंध-I और अनुबंध-II पर संलग्न हैं।

स्मार्ट मीटर डिस्कॉम और उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान करते हैं:

- वास्तविक खपत के आधार पर सटीक बिलिंग।
- बेहतर पारदर्शिता और मैन्युअल मीटर रीडिंग त्रुटियों का उन्मूलन;
- डिस्कॉम के लिए बेहतर ऊर्जा लेखांकन और बेहतर संग्रह दक्षता;
- मोबाइल-ऐप आधारित खपत की निगरानी उपभोक्ताओं को उनके विद्युत उपयोग का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है; और
- उन्नत ग्रिड प्रबंधन और ऊर्जा पारगमन उपायों को सक्षम करना।

स्मार्ट मीटरों की संस्थापना चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें सरकारी प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च भार वाले उपभोक्ताओं में, और इसके बाद लाभों के सफल प्रदर्शन के आधार पर अन्य उपभोक्ता श्रेणियों में संस्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है।

(ड) और (च) : प्रारंभिक चरण में स्मार्ट मीटरों के लाभों के संबंध में सीमित जागरूकता के कारण उपभोक्ताओं द्वारा कुछ चिंताएँ व्यक्त की गई थीं। इन चिंताओं के समाधान तथा उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा राजस्थान सहित सभी राज्यों में कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित परामर्श और मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) मंत्रालय द्वारा जारी की गई हैं:

- छूट के माध्यम से प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की संस्थापना हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने संबंधी परामर्श;
- स्मार्ट मीटरों द्वारा दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ताओं पर कोई दंडात्मक शुल्क न लगाए जाने संबंधी परामर्श;
- पिछले बकाया की वसूली आसान किस्तों में सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान करने संबंधी परामर्श;
- संस्थापित कुल स्मार्ट मीटरों में से न्यूनतम 5% में चेक मीटर संस्थापित करने के लिए और अतिरिक्त बिलिंग से संबंधित मामलों में, मीटर की सटीकता में विश्वास बढ़ाने के लिए परामर्श
- यूटिलिटी, नोडल एजेंसियों और उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम।

इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 एक मजबूत उपभोक्ता शिकायत निवारण फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। उपभोक्ता सबसे पहले वितरण यूटिलिटी के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र से संपर्क कर सकते हैं और यदि असंतुष्ट हैं, तो शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) और बाद में विद्युत लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का विवरण

करोड़ रुपये में

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत लागत	संस्वीकृत जीबीएस
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54	12
2	आंध्र प्रदेश	4,128	815
3	अरुणाचल प्रदेश	184	54
4	असम	4,050	1,052
5	बिहार	2,021	412
6	छत्तीसगढ़	4,105	804
7	दिल्ली	13	2
8	गोवा	469	95
9	गुजरात	10,642	1,885
10	हिमाचल प्रदेश	1,788	466
11	जम्मू और कश्मीर	1,064	272
12	झारखंड	858	191
13	केरल	8,231	1,413
14	मध्य प्रदेश	8,911	1,504
15	महाराष्ट्र	15,215	2,840
16	मणिपुर	121	38
17	मेघालय	310	86
18	मिजोरम	182	61
19	नागालैंड	208	60
20	पुडुचेरी	251	56
21	पंजाब	5,769	960
22	राजस्थान	9,715	1,686
23	सिक्किम	97	30
24	तमिलनाडु	19,235	3,398
25	त्रिपुरा	319	80
26	उत्तर प्रदेश	18,956	3,501
27	उत्तराखंड	1,106	310
28	पश्चिम बंगाल	12,670	2,089
	कुल	1,30,671	24,173

दिनांक 28.02.2026 तक विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत संस्थापित स्मार्ट मीटरों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित स्मार्ट मीटरों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	7,52,00
2	आंध्र प्रदेश	26,03,414
3	अरुणाचल प्रदेश	63,151
4	असम	55,78,084
5	बिहार	89,27,853
6	चंडीगढ़	24,214
7	छत्तीसगढ़	36,31,325
8	दिल्ली	2,60,000
9	गोवा	2,775
10	गुजरात	41,30,630
11	हरियाणा	8,47,467
12	हिमाचल प्रदेश	9,88,078
13	जम्मू और कश्मीर	13,13,433
14	झारखंड	11,74,016
15	केरल	1,77,462
16	लद्दाख	57,509
17	मध्य प्रदेश	39,79,244
18	महाराष्ट्र	95,31,245
19	मणिपुर	40,304
20	मेघालय	0
21	मिज़ोरम	31,643
22	नागालैंड	37,231
23	ओडिशा	4,500
24	पुडुचेरी	26,258
25	पंजाब	20,88,774
26	राजस्थान	35,64,314
27	सिक्किम	88,900
28	तमिलनाडु	1,40,725
29	तेलंगाना	8,882
30	त्रिपुरा	2,05,380
31	उत्तर प्रदेश	90,29,894
32	उत्तराखंड	4,86,541
33	पश्चिम बंगाल	6,44,255
कुल		5,97,62,701

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3359
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

सीमांचल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति

3359. श्री तारिक अनवर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में सीमांचल क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है जहां हाल ही में प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के कारण व्यापक व्यवधान की खबरें सामने आई हैं;

(ख) विगत तीन महीनों के दौरान इस विशिष्ट क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के संबंध में आंकड़े क्या हैं और प्रभावित घरों की संख्या कितनी है तथा उक्त क्षेत्र में पुनरुद्धार हेतु की गई कार्रवाई क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास राज्य एसेंसियों के समन्वय से इस क्षेत्र के लिए ग्रिड सुदृढीकरण, दुर्गम क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा समाधान और त्वरित कार्रवाई दलों (क्यूआरटी) की तैनाती जैसे दीर्घकालिक उपायों को लागू करने के लिए कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : देश में पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 520.511 गीगावाट है। भारत ने अप्रैल, 2014 से 296.388 गीगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है और देश को विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता में बदल दिया है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में बिहार राज्य के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध-1** पर है। ऊर्जा आपूर्ति और ऊर्जा आवश्यकता के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 2.0% से घटकर वर्तमान वर्ष के दौरान लगभग 'शून्य' हो गया है। इसलिए, बिहार राज्य के लिए ऊर्जा आपूर्ति ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप रही है।

इसके अतिरिक्त, चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की सहायता के लिए विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता कर रही है।

राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस) से प्राप्त विवरण के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष (दिसंबर, 2025 तक) में बिहार राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के औसत दैनिक घंटे क्रमशः 22.9 घंटे और 23.4 घंटे हैं।

भारत सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण यूटिलिटी (निजी क्षेत्र यूटिलिटी को छोड़कर) को हानि न्यूनीकरण वाले अवसंरचना कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिसमें से वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 10,559 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2,021 करोड़ रुपये की राशि बिहार राज्य के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे ग्रिड सुदृढीकरण सहित देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार होगा। बिहार राज्य के लिए जिलावार विवरण **अनुबंध-II** पर है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में बिहार राज्य के लिए वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2022-23	39,545	38,762	783	2.0
2023-24	41,514	40,918	596	1.4
2024-25	44,393	44,217	176	0.4
2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	40,749	40,735	14	0.0

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्यो का जिला वार विवरण

क्रम सं.	जिला	संस्वीकृत वितरण अवसंरचना कार्य (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्य (करोड़ रुपये)
1	अररिया	204	45
2	बेगूसराय	235	57
3	दरभंगा	277	71
4	गोपालगंज	152	43
5	कटिहार	231	42
6	खगड़िया	175	26
7	किशनगंज	178	36
8	मधुपुरा	124	25
9	मधुबनी	240	44
10	मुजफ्फरपुर	252	29
11	पश्चिम चंपारण	400	63
12	पूर्वी चंपारण	260	73
13	पूर्णिया	257	56
14	सहरसा	125	33
15	समस्तीपुर	286	61
16	सारण	182	57
17	शिवहर	66	7
18	सीतामढ़ी	161	42
19	सिवान	185	54
20	सुपौल	285	38
21	वैशाली	308	61
22	अरवल	105	9
23	औरंगाबाद	214	44
24	बांका	164	25
25	भागलपुर	243	26
26	भोजपुर	329	57
27	बक्सर	258	33
28	गया	453	37
29	जमुई	182	25
30	जहानाबाद	114	24
31	कैमूर	282	33
32	लखीसराय	124	24
33	मुंगेर	170	42
34	नालंदा	346	80
35	नवादा	256	40
36	पटना	1,751	466
37	रोहतास	304	66
38	शेखपुरा	125	18
	कुल योग	10,003	2,013
	आईटी/ओटी कार्य	400	0
	पीएमए लागत	156	8
	कुल	10,559	2,021

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3370
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत संशोधन विधेयक का प्रभाव

†3370. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत (संशोधन) विधेयक के प्रस्तावों के प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाने और वितरण सुधारों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यान्वयन के बाद डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती पहुंच से उत्पन्न होने वाले ग्रिड स्थिरता के मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) राज्यों में स्मार्ट मीटरिंग की शुरुआत की स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या विद्युत उत्पादकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विधायी अथवा विनियामक सुधारों का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : मसौदा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 वितरण क्षेत्र में सुधार लाने, विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने तथा टैरिफ के युक्तिकरण के माध्यम से आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपाय प्रस्तावित करता है। यह विधेयक लागत-आधारित टैरिफ के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है और क्रॉस-सब्सिडी को क्रमिक रूप से कम करने का प्रयास करता है, विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए तथा उद्योगों के लिए टैरिफ में कमी करके टैरिफ को आपूर्ति की वास्तविक लागत के अनुरूप करता है। मसौदा विधेयक विद्युत वितरण में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत करता है। यद्यपि विद्युत अधिनियम, 2003 पहले से ही एक ही क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंसधारकों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा का प्रावधान करता है और वितरण नेटवर्क तक गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच को अनिवार्य बनाता है, लेकिन वर्तमान में

किसी भी नए वितरण लाइसेंसधारक को अपनी स्वयं की नेटवर्क अवसंरचना स्थापित करना आवश्यक है। इससे अवसंरचना की पुनरावृत्ति होती है, जिसके कारण प्रणाली की लागत बढ़ जाती है। प्रस्तावित संशोधन ऐसे दोहराव को समाप्त करने के लिए कई लाइसेंसधारकों को मौजूदा वितरण नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, विधेयक में प्रस्ताव है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को एक ही आपूर्ति क्षेत्र में अनेक वितरण लाइसेंसधारकों के प्रचालन के लिए एक पारदर्शी फ्रेमवर्क स्थापित करना अनिवार्य किया जाए। विधेयक में यह भी प्रस्तावित है कि राज्य सरकार से परामर्श कर 1 मेगावाट से अधिक मांग वाले उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रदान करने की बाध्यता से वितरण लाइसेंसधारकों को छूट दी जाए। इससे वितरण लाइसेंसधारकों पर स्थिर लागत का बोझ कम होगा और अंततः उपभोक्ताओं को कम टैरिफ के रूप में लाभ मिलेगा।

(ख) : केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण अवसंरचना के उन्नयन और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए स्कीम के पात्र वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, बशर्ते वे पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करें, जैसे कि समय पर टैरिफ और टू-अप आदेश जारी करना, त्रैमासिक और वार्षिक खातों का समय पर प्रकाशन, जेनकोज को समय पर भुगतान, सरकारी विभागों के बकाए का निपटान तथा सुधारों में न्यूनतम आवश्यक बेंचमार्क को प्राप्त करना। दिनांक 28 फरवरी 2026 तक, हानि में कमी और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ₹2.83 लाख करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, वितरण यूटिलिटी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें शुरू की गई हैं:

- i. राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के उचित लेखांकन तथा समय पर सब्सिडी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ विधायन और मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) जारी की गई हैं।
- ii. विद्युत आपूर्ति से संबंधित सभी युक्तिसंगत लागतों को सुनिश्चित करने के लिए ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) के स्वचालित पास-थ्रू तथा लागत-आधारित टैरिफ के लिए अधीनस्थ विधायन तैयार किए गए हैं।
- iii. विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमों के प्रवर्तन के माध्यम से बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।
- iv. राज्य विद्युत यूटिलिटी को ऋण प्रदान करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड।
- v. निष्पादन आधारित अतिरिक्त उधार की सीमा: सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5%।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्तीय वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्तीय वर्ष 2025 में 15.04% हो गई हैं, जबकि एसीएस-एआरआर अंतर ₹0.69/किलोवाट घंटा से घटकर ₹0.06/किलोवाट घंटा हो गया है। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम वार वित्तीय और प्रचालनात्मक पैरामीटर अनुबंध- I पर संलग्न हैं।

(ग) : नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते प्रवेश से उत्पन्न ग्रिड स्थिरता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई विनियामक और प्रचालनात्मक उपाय किए गए हैं। इनमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियमों का निर्माण और कार्यान्वयन शामिल हैं, जो ग्रिड अनुशासन और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तकनीकी और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रणाली संतुलन की सहायता करने के लिए थर्मल उत्पादन इकाइयों के लचीले संचालन को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण) के अनुसार पारेषण अवसंरचना की योजना बनाई जा रही है और उसे मजबूत किया जा रहा है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) और हाइड्रो पंपड भंडारण प्रणाली (पीएसपी) जैसी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ईएसएस) के विकास को नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए सुगम बनाया जा रहा है। ईएसएस के विकास के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें बीईएसएस के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग, ईएसएस के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में छूट, पीएसपी के लिए वित्तीय सहायता, ईएसएस की खरीद के लिए बोली दिशानिर्देश और ईएसएस विकास के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क शामिल हैं, जो ग्रिड में नवीकरणीय स्रोतों के बड़े पैमाने पर एकीकरण के लिए आवश्यक हैं। बेहतर पूर्वानुमान, शेड्यूलिंग और वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) भी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएँ) विनियम प्रणाली आवृत्ति बनाए रखने और विश्वसनीय ग्रिड परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सहायक सेवाओं की खरीद के लिए एक फ्रेमवर्क बनाते हैं।

(घ) : स्मार्ट मीटरिंग समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को सुधारने के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत परिकल्पित किए गए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक है। आरडीएसएस के अंतर्गत, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 45 वितरण यूटिलिटी के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसमें 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 52.53 लाख वितरण ट्रांसफॉर्मरों और 2.05 लाख फीडरों की स्मार्ट मीटरिंग शामिल है। अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 4.54 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने अपने राज्य योजनाओं/अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी स्मार्ट मीटर लगाए हैं। कुल मिलाकर, दिनांक 28 फरवरी 2026 तक देशभर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 5.97 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। दिनांक 28 फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार विवरण अनुबंध - II पर दिया गया है।

(ङ) : केंद्र सरकार ने विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022, समय-समय पर संशोधित, अधिसूचित किए हैं, जो पुरानी बकाया राशि के निपटान और वर्तमान बकाया राशि का उत्पादन कंपनियों, पारेषण लाइसेंसधारकों और ट्रेडिंग लाइसेंसधारकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करते हैं। इन नियमों के माध्यम से विलंबित भुगतान अधिभार लगाने और पहुंच को विनियमित करने के द्वारा भुगतान अनुशासन फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है ताकि भुगतान शेड्यूल का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विद्युत बाजार लेन-देन में भुगतान सुरक्षा तंत्र प्रदान किए गए हैं ताकि उत्पादन कंपनियों को देय बकाया राशि का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम के वित्तीय और प्रचालन मापदंड

राज्य/डिस्कॉम	एटी एंड सी हानि (%)	एसीएस-एआरआर अंतर्गत (रू./केडब्ल्यूएच)	संचयी अधिशेष/(हानि) (करोड़ रूपये)	कुल ऋण (करोड़ रूपये)
राज्य क्षेत्र	15.40	0.11	(6,77,561)	7,11,402
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24.14	2.22	-	-
अंडमान एवं निकोबार पीडी	24.14	2.22	-	-
आंध्र प्रदेश	7.87	(0.15)	(29,420)	77,583
एपीसीपीडीसीएल	7.95	(0.62)	(9,688)	21,204
एपीईपीडीसीएल	7.70	(0.02)	(7,155)	20,693
एपीएसपीडीसीएल	7.99	(0.01)	(12,577)	35,687
अरुणाचल प्रदेश	46.20	0.00	-	-
अरुणाचल पीडी	46.20	0.00	-	-
असम	15.44	(0.26)	(1,028)	1,131
एपीडीसीएल	15.44	(0.26)	(1,028)	1,131
बिहार	15.51	(0.41)	(16,526)	14,002
एनबीपीडीसीएल	14.49	(0.57)	(4,917)	6,509
एसबीपीडीसीएल	16.35	(0.28)	(11,608)	7,494
छत्तीसगढ़	14.25	(0.19)	(10,423)	5,428
सीएसपीडीसीएल	14.25	(0.19)	(10,423)	5,428
दिल्ली	8.36	(0.86)	-	-
एनडीएमसी	8.36	(0.86)	-	-
गोवा	10.39	0.20	-	-
गोवा पीडी	10.39	0.20	-	-
गुजरात	8.25	(0.40)	7,355	258
डीजीवीसीएल	4.26	(0.46)	2,507	26
एमजीवीसीएल	8.37	(0.24)	877	9
पीजीवीसीएल	12.73	(0.44)	2,276	208
यूजीवीसीएल	6.16	(0.33)	1,695	15
हरियाणा	11.76	0.10	(27,915)	20,311
डीएचबीवीएनएल	12.20	0.03	(13,052)	12,099
यूएचबीवीएनएल	11.12	0.20	(14,862)	8,213
हिमाचल प्रदेश	19.44	0.23	(3,391)	7,024
एचपीएसईवीएल	19.44	0.23	(3,391)	7,024
झारखंड	28.19	0.95	(20,512)	22,381
जेबीवीएनएल	28.19	0.95	(20,512)	22,381
कर्नाटक	11.92	0.69	(34,980)	47,993
बेस्कॉम	12.50	1.21	(13,819)	22,611
चेस्कॉम	8.76	0.36	(4,064)	5,410
गेस्कॉम	13.48	0.10	(5,661)	6,147
हेस्कॉम	12.14	0.23	(11,398)	12,251
मेस्कॉम	10.02	(0.00)	(37)	1,575
केरल	6.61	(0.17)	(38,648)	17,638
केएसईवीएल	6.61	(0.17)	(38,648)	17,638
टीसीईडी	6.94	(0.13)	-	-
लद्दाख	26.82	(0.89)	-	-
लद्दाख पीडी	26.82	(0.89)	-	-
मध्य प्रदेश	22.76	(0.04)	(71,394)	49,239
एमपीएमएकेवीवीसीएल	29.60	0.22	(30,900)	18,176
एमपीपीएकेवीवीसीएल	12.78	(0.36)	(12,503)	14,184
एमपीपीओकेवीवीसीएल	26.66	0.02	(27,992)	16,878
महाराष्ट्र	17.69	0.56	(35,671)	90,659
बीईएसटी	5.07	0.60	-	-
एमएसईडीसीएल	18.09	(0.70)	(35,671)	90,659
मणिपुर	12.90	(0.20)	(290)	745
एमएसपीडीसीएल	12.90	(0.20)	(290)	745

राज्य/डिस्कॉम	एटी एंड सी हानि (%)	एसीएस-एआरआर अंतर्गत (रू./केडब्ल्यूएच)	संचयी अधिशेष/(हानि) (करोड़ रूपये)	कुल ऋण (करोड़ रूपये)
मेघालय	17.52	0.13	(4,962)	1,474
एमईपीडीसीएल	17.52	0.13	(4,962)	1,474
मिज़ोरम	32.31	(0.34)	-	-
मिज़ोरम पीडी	32.31	(0.34)	-	-
नागालैंड	48.86	(0.50)	-	-
नागालैंड पीडी	48.86	(0.50)	-	-
पुदुचेरी	14.72	(0.64)	-	-
पुदुचेरी पीडी	14.72	(0.64)	-	-
पंजाब	19.21	(0.30)	(3,404)	17,411
पीएसपीसीएल	19.21	(0.30)	(3,404)	17,411
राजस्थान	15.18	(0.04)	(90,303)	98,488
एवीवीएनएल	9.22	(0.45)	(25,563)	26,126
जेडीवीवीएनएल	21.42	0.02	(34,689)	36,793
जेवीवीएनएल	13.75	0.18	(30,052)	35,569
सिक्किम	21.84	0.33	-	-
सिक्किम पीडी	21.84	0.33	-	-
तमिलनाडु	10.96	(0.19)	(1,19,153)	1,01,782
टीएनपीडीसीएल	10.96	(0.19)	(1,19,153)	1,01,782
तेलंगाना	19.84	0.27	(69,741)	59,230
टीएसएनपीडीसीएल	23.22	0.53	(21,399)	21,885
टीएसएसपीडीसीएल	18.51	0.17	(48,342)	37,345
त्रिपुरा	29.61	1.40	(991)	842
टीएसईसीएल	29.61	1.40	(991)	842
उत्तर प्रदेश	19.54	0.73	(1,00,858)	61,395
डीवीवीएनएल	19.70	1.03	(33,974)	16,412
केरको	14.29	1.09	(5,232)	2,243
एमवीवीएनएल	17.70	1.11	(25,236)	14,338
पीएवीवीएनएल	11.91	(0.29)	(8,782)	6,562
पीयूवीवीएनएल	30.70	1.30	(27,634)	21,840
उत्तराखंड	15.08	0.06	(5,482)	1,729
यूपीसीएल	15.08	0.06	(5,482)	1,729
पश्चिम बंगाल	17.17	(0.03)	174	14,658
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	17.17	(0.03)	174	14,658
निजी क्षेत्र	10.05	(0.64)	30,351	14,975
दिल्ली	6.48	(1.13)	22,184	2,914
बीआरपीएल	6.70	(0.89)	12,892	894
बीवाईपीएल	7.15	(0.95)	5,650	701
टीपीडीडीएल	5.70	(1.58)	3,642	1,319
गुजरात	3.63	(0.42)	3,892	3,562
टॉरेंट पावर अहमदाबाद	3.80	(0.30)	3,206	3,354
टॉरेंट पावर सूरत	3.24	(0.67)	686	208
महाराष्ट्र	4.99	(2.04)	1,245	3,818
ईईएमएल	4.99	(2.04)	1,245	3,818
ओडिशा	17.81	0.18	1,263	4,531
टीपीएनओडीएल	12.51	(0.06)	480	1,006
टीपीएसओडीएल	23.36	0.82	219	1,498
टीपीडब्ल्यूओडीएल	17.64	0.36	301	1,093
टीपीसीओडीएल	19.11	(0.09)	262	933
उत्तर प्रदेश	8.48	(0.15)	1,561	0
एनपीसीएल	8.48	(0.15)	1,561	0
पश्चिम बंगाल	4.68	0.19	205	151
आईपीसीएल	4.68	0.19	205	151
कुल योग	15.04	0.06	(6,47,210)	7,26,378

आरडीएसएस के अंतर्गत राज्य-वार स्मार्ट मीटरिंग की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटर (संख्या)		
	संस्वीकृत	अवार्ड	संस्थापित
अंडमान एवं निकोबार	84,835	84,835	-
आंध्र प्रदेश	59,19,344	59,81,561	26,01,414
अरुणाचल प्रदेश	2,98,250	2,98,250	63,151
असम	64,45,127	65,58,446	50,36,390
बिहार	26,07,153	25,98,542	22,11,931
छत्तीसगढ़	61,79,479	73,45,604	36,31,325
दिल्ली	3,521	-	-
गोवा	7,50,356	7,50,356	2,775
गुजरात	1,67,87,587	1,67,91,087	41,06,870
हिमाचल प्रदेश	28,41,908	29,18,432	8,36,338
जम्मू एवं कश्मीर	14,97,690	14,90,727	6,54,247
झारखंड	13,62,044	13,62,044	6,53,756
केरल	1,33,83,001	2,92,960	1,76,657
मध्य प्रदेश	1,34,29,206	62,66,494	36,02,845
महाराष्ट्र	2,40,04,866	2,52,73,775	95,31,245
मणिपुर	1,66,208	1,66,208	40,304
मेघालय	4,72,743	4,72,743	-
मिज़ोरम	2,92,081	2,92,081	30,987
नागालैंड	3,23,878	3,23,878	37,231
पुद्दुचेरी	4,07,052	4,07,052	26,258
पंजाब	89,81,414	6,48,607	2,788
राजस्थान	1,47,36,692	1,47,54,023	29,50,007
सिक्किम	1,48,542	1,48,542	88,900
तमिलनाडु	3,04,90,774	10,570	9,746
त्रिपुरा	5,62,870	5,27,013	2,05,380
उत्तर प्रदेश	2,85,26,730	2,85,26,730	78,42,941
उत्तराखंड	16,49,684	16,49,684	4,86,541
पश्चिम बंगाल	2,10,35,262	40,31,566	6,34,255
अखिल भारतीय कुल	20,33,88,297	12,99,71,810	4,54,64,282

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3373
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

धोखाधड़ी वाले कार्बन क्रेडिट लेन-देन

†3373. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के विकसित हो रहे कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क में धोखाधड़ी वाले कार्बन क्रेडिट लेन-देन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं;

(ख) सरकार वर्ष 2027 और 2030 के लिए निर्धारित कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों के साथ आर्थिक विकास को किस प्रकार संतुलित करने की योजना बना रही है;

(ग) कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों का निजी क्षेत्र द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) सरकार प्रकृति 2025 में चर्चा की गई अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों से मिली सीख को भारत की जलवायु नीति ढांचे में किस प्रकार एकीकृत करने की योजना बना रही है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जून 2023 में अधिसूचित (यथा संशोधित सहित) कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के अनुसार, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया भारतीय कार्बन बाजार के लिए रजिस्ट्री है। भारतीय कार्बन बाजार में धोखाधड़ी वाले कार्बन क्रेडिट लेन-देन को रोकने के लिए, रजिस्ट्री को जो कार्य सौंपे गए हैं उनमें सभी लेन-देन का सुरक्षित डेटाबेस और रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल है। यह रजिस्ट्री भारत के लिए मेटा-रजिस्ट्री के रूप में भी कार्य करती है।

(ख) : सीसीटीएस के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सघनता (जीईआई) लक्ष्यों का अनिवार्य अनुपालन केवल उत्सर्जन-सघन उद्योगों पर लागू होता है, जिन्हें 'अनिवार्य संस्थाओं' के रूप में नामित किया गया है जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत निर्धारित सीमाओं से अधिक होती है। इसके अलावा, विभिन्न बाध्यकारी संस्थाओं के लिए जीईआई लक्ष्य निर्धारित करते समय, उनकी यूनिटों में

संभावित तकनीकी उपायों की सीमांत कमी लागत को ध्यान में रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन संस्थाओं को व्यावहारिक और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य दिए जाएँ।

(ग) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने जुलाई 2024 में सीसीटीएस के अंतर्गत अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रकाशित की है, जिसमें सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) फ्रेमवर्क शामिल है। एमआरवी ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू सत्यापन प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जीएचजी उत्सर्जन आंकड़े का वार्षिक सत्यापन आवश्यक है। इसके अलावा, बाध्यकारी संस्थाओं द्वारा जीईआई लक्ष्यों का पालन न करने की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण मुआवजा लगाया जा सकता है और शास्ति भी लगाई जा सकती है।

(घ) : कार्बन बाजारों पर 'प्रकृति' शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें उद्योगों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों ने कार्बन बाजार, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन कम करने के उपाय, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए वित्तपोषण आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इस सम्मेलन से प्राप्त सीख बाध्यकारी संस्थाओं को जीएचजी उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपाय चुनने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा, इस सम्मेलन से प्राप्त सीख सरकार को सीसीटीएस के नीति फ्रेमवर्क को अनुकूलित करने में भी सक्षम बनाएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3383
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

जर्जर तारों को बदलना

3383. श्री नीरज मौर्य:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिलों सहित उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत जर्जर तारों (उच्च हानि वाली लाइनों) को बदलने और नए 33/11 केवी उपकेंद्रों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आवंटित 12,585 करोड़ रुपये की राशि में से हिस्सेदारी का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंवला के औद्योगिक क्षेत्रों जैसे इफको और मेंथा क्लस्टरों में वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पादन में दस प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर सहित उत्तर प्रदेश में कृषि फीडरों के पृथक्करण के कार्य को पूर्णतः पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का आंवला में सौर ऊर्जा से चलने वाला एक विशेष हरित ऊर्जा सब-स्टेशन स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है।

संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम जुलाई 2021 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर वितरण यूटिलिटी को वितरण अवसंरचना से संबंधित कार्यों जैसे नए सबस्टेशनों का निर्माण, सबस्टेशनों की क्षमता वृद्धि, नए वितरण ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना, वितरण ट्रांसफॉर्मरों का उन्नयन, कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, नई एचटी/एलटी लाइनों का निर्माण, फीडर का विभाजन, फीडर पृथक्करण आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के लिए 21,780 करोड़ रुपये के कार्य शामिल हैं। इसमें बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिलों में अधिक लाइन हानि वाली लाइनों के प्रतिस्थापन के लिए 767 करोड़ रुपये के कार्य भी शामिल हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत कार्यों का जिला-वार विवरण अनुबंध-1 पर संलग्न है।

(ख) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आंवला डिवीजन के अंतर्गत वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की कोई समस्या नहीं है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की खपत पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 15% बढ़ी है। यह भी बताया गया है कि आंवला में एक इफको उर्वरक संयंत्र स्थित है, जिसे विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 132 केवी पारेषण सबस्टेशन से एक स्वतंत्र 132 केवी फीडर के माध्यम से सीधे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(ग) : भारत सरकार भार का कुशल प्रबंधन करने तथा कृषि फीडरों के सौरकरण को सक्षम बनाने के उद्देश्य के लिए मिश्रित भार वाले फीडरों, जिनमें 30% से अधिक कृषि भार होता है, को कृषि और गैर-कृषि फीडरों में अलग करने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना(डीडीयूजीजेवाई) और राज्य प्लान के अंतर्गत 2,878 फीडरों का पृथक्करण किया गया है। आरडीएसएस के अंतर्गत 1,799 फीडरों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 1,205 फीडरों का पृथक्करण किया जा चुका है। आरडीएसएस स्कीम की अंतिम तिथि 31 मार्च 2028 है।

जिला-वार विवरण निम्नलिखित है:

राज्य	डीडीयूजीजेवाई/राज्य योजना के अंतर्गत पृथक किए गए	आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत	अब तक आरडीएसएस के अंतर्गत पृथक किए गए
बरेली	32	19	12
बदायूं	31	102	57
शाहजहांपुर	39	52	21

(घ) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बरेली जिले की आंवला तहसील के बरसर, अलीगंज और रहतुइया क्षेत्रों में क्रमशः 7.70, 7.10 और 7.80 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है।

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत वितरण अवसंरचना कार्यो का जिला-वार ब्यौरा

क्रम सं.	जिला	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये)
1	आगरा	198.65
2	अलीगढ़	410.10
3	औरैया	145.83
4	बांदा	196.66
5	चित्रकूट	129.48
6	एटा	231.84
7	इटावा	171.78
8	फर्रुखाबाद	169.61
9	फिरोजाबाद	295.55
10	हमीरपुर	107.93
11	हाथरस	163.16
12	जालौन	169.54
13	झांसी	200.58
14	कन्नौज	133.95
15	कानपुर देहात	117.28
16	कानपुर नगर	114.71
17	कासगंज (काशीराम नगर)	217.20
18	ललितपुर	119.48
19	महोबा	96.80
20	मैनपुरी	173.02
21	मथुरा	326.08
22	कानपुर	1,330.10
23	अमेठी	130.39
24	अयोध्या	174.52
25	बदायूं	266.37
26	बहराइच	156.24
27	बाराबंकी	197.86
28	बरेली	429.70
29	श्रावस्ती	75.72
30	गोंडा	367.43
31	हरदोई	221.98
32	लखीमपुर खीरी	196.77
33	लखनऊ	938.00
34	रायबरेली	228.42
35	पीलीभीत	199.03
36	उन्नाव	167.64
37	अंबेडकरनगर	158.42
38	बलरामपुर	130.42

39	शाहजहांपुर	230.89
40	सीतापुर	221.41
41	सुल्तानपुर	158.85
42	बागपत	98.96
43	बिजनौर	341.00
44	बुलंदशहर	362.56
45	गौतमबुद्ध नगर	190.25
46	गाजियाबाद	236.45
47	हापुड़	183.73
48	ज्योतिबा फुलेनगर (अमरोहा)	131.27
49	मेरठ	327.66
50	मुरादाबाद	278.19
51	मुजफ्फरनगर	269.37
52	रामपुर	142.69
53	सहारनपुर	448.68
54	संभल	487.74
55	शामली	106.05
56	नोएडा	1,313.50
57	प्रयागराज	806.94
58	प्रतापगढ़	355.37
59	फतेहपुर	369.94
60	कौशाम्बी	237.05
61	मिर्जापुर	169.42
62	सोनभद्र	204.08
63	वाराणसी	1,927.93
64	चंदौली	90.77
65	गाजीपुर	209.74
66	जौनपुर	327.42
67	आजमगढ़	171.61
68	बलिया	294.80
69	मऊ	223.73
70	गोरखपुर	194.14
71	देवरिया	160.31
72	कुशीनगर	134.52
73	महाराजगंज	74.96
74	बस्ती	96.70
75	संत कबीर नगर	39.90
76	सिद्धार्थनगर	195.43
77	संत रविदास नगर	131.93
कुल		21,204.16
आईटी/ओटी कार्य		256.2
पीएमए प्रभार		319.960
कुल योग		21,780.32

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3431
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन क्षमता

3431. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या कोयला, जल विद्युत, सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उत्पादित विद्युत के हिस्से के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों से विद्युत कटौती के संबंध में सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की दैनिक औसत उपलब्धता कितनी है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वर्तमान में देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता 5,20,511 मेगावाट है (जनवरी 2026 तक) और इसके स्रोत-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) : पिछले पांच वित्त वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष (जनवरी 2026 तक) में देश में ताप, जल, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पादित विद्युत का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(ग) : वित्त वर्ष 2025-26 (जनवरी 2026 तक) के लिए राज्यवार 'ऊर्जा आवश्यकता' और 'ऊर्जा आपूर्ति' का विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है। ये विवरण दर्शाते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति लगभग ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप रही है, जिसमें केवल मामूली अंतर है, जो सामान्यतः राज्य के पारेषण/वितरण नेटवर्क बाधाओं के कारण होता है।

(घ) : वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसत विद्युत आपूर्ति के घंटे क्रमशः 22.6 और 23.4 हैं।

देश की वर्तमान संस्थापित विद्युत क्षमता का विवरण, जिसमें ताप विद्युत, जल विद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय/गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत-वार हिस्सा शामिल है:

श्रेणी		संस्थापित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	कुल % में हिस्सा
जीवाश्म ईंधन	कोयला	2,21,210	42.5%
	लिग्नाइट	6,620	1.3%
	गैस	20,122	3.9%
	डीजल	589	0.1%
	कुल जीवाश्म ईंधन:	2,48,542	47.7%
गैर-जीवाश्म ईंधन	आरईएस (जल विद्युत सहित)	2,63,189	50.6%
	जल विद्युत	51,165	9.8%
	पवन, सौर और अन्य आरई	2,12,025	40.7%
	पवन	54,650	10.5%
	सौर	1,40,602	27.0%
	जैव विद्युत/सह-उत्पादन	10,757	2.1%
	अपशिष्ट से ऊर्जा	857	0.2%
	लघु जल विद्युत	5,159	1.0%
	न्यूक्लियर	8,780	1.7%
	कुल गैर-जीवाश्म ईंधन:	2,71,969	52.3%
कुल संस्थापित क्षमता (जीवाश्म ईंधन एवं गैर-जीवाश्म ईंधन)		5,20,511	100%

पिछले पांच वित्त वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष (जनवरी, 2026 तक) के दौरान ताप विद्युत, जल विद्युत, न्यूक्लियर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न स्रोतों से देश में उत्पादित विद्युत का विवरण:

(सभी उत्पादन आंकड़े मिलियन यूनिट (एमयू) में)

ईंधन		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (जनवरी'26 तक)
ताप विद्युत	कोयला	9,50,937.55	10,41,487.43	11,45,907.58	12,60,902.62	12,98,872.29	10,31,882.53
	डीजल/एचएसडी	126.31	117.24	229.71	400.58	442.65	358.21
	लिग्नाइट	30,505.68	37,094.04	36,188.34	33,949.79	32,994.77	24,906.72
	बहु ईंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नैपथा	101.41	0.00	0.83	0.03	0.00	0.00
	प्राकृतिक गैस	50,842.59	36,015.77	23,884.21	31,295.91	31,580.05	22,764.15
ताप विद्युत कुल		10,32,513.54	11,14,714.48	12,06,210.67	13,26,548.93	13,63,889.76	10,79,911.61
न्यूक्लियर		43,029.08	47,112.06	45,861.09	47,937.41	56,680.83	45,193.67
कुल [पारंपरिक]		10,75,542.62	11,61,826.54	12,52,071.76	13,74,486.34	14,20,570.59	11,25,105.28
आरईएस (बड़ी जल विद्युत को छोड़कर)	पवन	60,149.95	68,640.07	71,814.16	83,385.35	83,347.19	95,586.95
	सौर	60,402.26	73,483.94	1,02,014.24	1,15,975.11	1,44,150.23	1,38,386.93
	बायोमास	3,512.98	3,482.70	3,161.32	3,417.19	3,738.67	3,377.60
	खोई	11,302.85	12,573.88	12,863.16	10,825.59	9,335.32	7,635.91
	लघु जल विद्युत	10,258.41	10,463.55	11,170.62	9,485.04	11,568.04	10,885.08
	अन्य	1,621.06	2,268.17	2,529.18	2,746.55	2,869.73	2,453.59
बड़ी जल विद्युत		1,50,299.52	1,51,627.33	1,62,098.77	1,34,053.92	1,48,633.98	1,50,039.12
कुल [नवीकरणीय]		2,97,547.03	3,22,539.63	3,65,651.45	3,59,888.75	4,03,643.16	4,08,365.18
भूटान से आयात		8,765.50	7,493.20	6,742.40	4,716.10	5,484.18	7,765.68
कुल योग		13,81,855.15	14,91,859.37	16,24,465.61	17,39,091.19	18,29,697.93	15,41,236.14

वित्त वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के लिए ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा का राज्य-वार विवरण:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2025 - जनवरी, 2026			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,658	1,658	1	0.0
दिल्ली	33,809	33,801	8	0.0
हरियाणा	61,111	61,046	65	0.1
हिमाचल प्रदेश	11,561	11,520	40	0.3
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख	16,840	16,824	16	0.1
पंजाब	65,972	65,913	59	0.1
राजस्थान	93,062	93,062	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,41,475	1,41,449	26	0.0
उत्तराखंड	14,081	14,027	53	0.4
छत्तीसगढ़	34,968	34,960	8	0.0
गुजरात	1,30,452	1,30,452	0	0.0
मध्य प्रदेश	85,679	85,670	9	0.0
महाराष्ट्र	1,66,392	1,66,383	9	0.0
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	9,372	9,372	0	0.0
गोवा	4,528	4,528	0	0.0
आंध्र प्रदेश	66,329	66,323	6	0.0
तेलंगाना	69,259	69,252	7	0.0
कर्नाटक	76,580	76,571	9	0.0
केरल	25,558	25,556	3	0.0
तमिलनाडु	1,10,000	1,09,990	10	0.0
पुडुचेरी	2,947	2,944	3	0.1
लक्षद्वीप (#)	60	60	0	0.0
बिहार	40,749	40,735	14	0.0
डीवीसी	20,708	20,704	3	0.0
झारखंड	13,005	13,000	5	0.0
ओडिशा	37,290	37,284	6	0.0
पश्चिम बंगाल	61,969	61,906	63	0.1
सिक्किम	444	444	0	0.0
अंडमान-निकोबार (#)	354	336	18	5.2
अरुणाचल प्रदेश	1,007	1,007	0	0.0
असम	11,875	11,875	1	0.0
मणिपुर	978	975	3	0.3
मेघालय	1,741	1,741	0	0.0
मिजोरम	629	629	0	0.0
नागालैंड	849	849	0	0.0
त्रिपुरा (*)	1,655	1,654	0	0.0
अखिल भारतीय	14,27,436	14,27,009	427	0.0

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3436
दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

उत्तर प्रदेश में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कार्य

3436. श्री देवेश शाक्य:

श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत वर्ष 2020 से स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन जिलों में फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण लाइनों के सुदृढीकरण, नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत धनराशि और किए गए व्यय का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एटा, कासगंज और जौनपुर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वोल्टेज की समस्या, ट्रिपिंग और लाइन लॉस के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार इन जिलों में शेष लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : भारत सरकार ने वर्ष 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना को सुदृढ करने और गांवों के विद्युतीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों में किए गए कार्य और वित्तीय विवरण अनुबंध-1 पर संलग्न हैं।

(ग) एवं (घ) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता देती है ताकि वे सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

उपभोक्ताओं को वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण यूटिलिटी को उसके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर वितरण अवसंरचना कार्यों जैसे कि सब-स्टेशन और वितरण ट्रांसफॉर्मरों का उन्नयन/विस्तार, कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, नई एचटी/एलटी लाइनें, फीडर विभाजन, फीडर पृथक्करण आदि के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों के लिए क्रमशः ₹391 करोड़, ₹358 करोड़ और ₹711 करोड़ के वितरण अवसंरचना कार्यों, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग कार्य भी शामिल हैं, को स्वीकृत किया गया है (विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न)। आरडीएसएस की समाप्ति तिथि 31 मार्च 2028 है।

इसके अतिरिक्त, इन जिलों में वोल्टेज समस्याओं, ट्रिपिंग और लाइन हानियों का समाधान करने के लिए राज्यों द्वारा अपनी व्यवसाय योजना के अंतर्गत विभिन्न वितरण अवसंरचना कार्य किए गए हैं।

डीडीयूजीजेवाई विवरण:

वित्तीय विवरण:

जिला	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)	समापन लागत (करोड़ रुपये में)	जारी जीबीएस (करोड़ रुपये में)
एटा	137.94	156.94	94.43
जौनपुर	44.78	61.46	36.97
कांशीराम नगर (कासगंज)	10.92	9.59	5.77

किए गए प्रमुख कार्य:

क्रम सं.	मद	यूनिट	एटा	जौनपुर	कांशीराम नगर (कासगंज)
1	सब-स्टेशन (अभिवृद्धि सहित)	संख्या	26	20	05
2	वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1349	123	51
3	फीडर पृथक्करण	सीकेएम	880.45	00	00
4	11 केवी लाइन	सीकेएम	158.42	38.99	49.87
5	एलटी लाइन	सीकेएम	679.42	93.62	27.35
6	33 केवी एवं 66 केवी लाइन	सीकेएम	106.76	0	18.94

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत विवरण

1. एटा जिला

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	विवरण	परियोजना लागत
1	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	155.41
2	हानि न्यूनीकरण कार्य	235.31
कुल		390.72

हानि न्यूनीकरण कार्य

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	संस्वीकृत परिमाण
1	हाई टेंशन (एचडी) लाइन	सीकेएम	1,114.63
2	लो टेंशन (एलटी) लाइन	सीकेएम	53,25.99
3	नए डीटी	संख्या	162
4	विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत घर	संख्या	4,618

2. कासगंज जिला

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	विवरण	परियोजना लागत
1	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	137.46
2	हानि न्यूनीकरण कार्य	220.46
कुल		357.92

हानि न्यूनीकरण कार्य

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	संस्वीकृत परिमाण
1	हाई टेंशन (एचडी) लाइन	सीकेएम	1,012.45
2	लो टेंशन (एलटी) लाइन	सीकेएम	4,395.27
3	नए डीटी	संख्या	85
4	विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत घर	संख्या	2,162

3. जौनपुर जिला

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	विवरण	परियोजना लागत
1	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	382.98
2	हानि न्यूनीकरण कार्य	328.41
कुल		711.39

हानि न्यूनीकरण कार्य

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	संस्वीकृत परिमाण
1	हाई टेंशन (एचडी) लाइन	सीकेएम	963.64
2	लो टेंशन (एलटी) लाइन	सीकेएम	7,642.20
3	नए डीटी	संख्या	1,004
4	विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत घर	संख्या	9,897

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3444

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना का उन्नयन

3444. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उपभोक्ताओं को विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद गलत रीडिंग, अत्यधिक बिल, प्रीपेड शेष राशि में तेजी से कमी और तकनीकी गड़बड़ियाँ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या पूर्वांचल के देवरिया और बलिया जिलों के कई गांव अभी भी बांस के खंभे पर आधारित असुरक्षित विद्युत आपूर्ति पर निर्भर हैं और कम वोल्टेज, बार-बार ट्रिपिंग और जीर्ण-शीर्ण लाइनों का खामियाजा भुगतना पड़ता है और यदि हां, तो ऐसे प्रभावित गांवों की संख्या कितनी है और लाइनों के स्थायी उन्नयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में 24x7 गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष योजना, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि, लाइन सुदृढीकरण या स्मार्ट ग्रिड परियोजना स्वीकृत की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : स्मार्ट मीटर की स्थापना जुलाई 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत एक प्रमुख हस्तक्षेप है, जो वास्तविक खपत के आधार पर सटीक बिलिंग, मैन्युअल मीटर रीडिंग त्रुटियों को खत्म करने, उपभोक्ताओं के लिए रिचार्ज की सुविधा और विद्युत की खपत की निगरानी करने की क्षमता जैसे लाभ प्रदान करता है। स्मार्ट मीटर वितरण यूरिलिटी को संग्रह दक्षता में सुधार करने, स्वचालित ऊर्जा लेखांकन को सक्षम करने, बेहतर भार पूर्वानुमान और ऊर्जा पारगमन के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करने में भी सहायता करते हैं।

प्रारंभ में, स्मार्ट मीटर के लाभों के बारे में सीमित उपभोक्ता जागरूकता के कारण कुछ चुनौतियों की सूचना मिली थी। उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने और समस्याओं का समाधान करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- (i) सरकारी संस्थानों, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए, और इसके बाद जब इनके लाभों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन हो जाए, अन्य उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरों की स्थापना को प्राथमिकता देना।

- (ii) मंत्रालय द्वारा विभिन्न परामर्शिकाएँ और मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) जारी की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:
- प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना के लिए उपभोक्ताओं को बिल में रियायत के माध्यम से प्रोत्साहित करना;
 - स्मार्ट मीटरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ताओं पर कोई शास्ति नहीं लगाना;
 - पूर्ववर्ती बकाया राशि की वसूली के लिए आसान किस्तों में तंत्र प्रदान करना;
 - स्मार्ट मीटरों की सटीकता में विश्वास बढ़ाने के लिए चेक मीटरों की संस्थापना;
 - उपभोक्ताओं को बिजली खपत ट्रैक करने और सुविधाजनक रिचार्ज के लिए मोबाइल एप्लिकेशन की व्यवस्था;
 - बैलेंस उपलब्धता और आपातकालीन क्रेडिट सुविधाओं के लिए अग्रिम अलर्ट।
- (iii) वितरण यूटिलिटी, नोडल एजेंसियों और एएमआई सेवा प्रदाताओं द्वारा पम्पलेट, बैनर, जागरूकता शिविर और सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

परिणामस्वरूप, देशभर में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 5.97 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के तहत एक मजबूत बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। उपभोक्ता वितरण यूटिलिटी की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली से संपर्क कर सकते हैं और यदि संतुष्ट नहीं हैं, तो उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) और उसके बाद बिजली लोकपाल के माध्यम से अपनी शिकायत का निवारण करवा सकते हैं।

(ख) और (ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करेगा। हालांकि, आयोग कुछ उपभोक्ता वर्गों, जैसे कृषि, के लिए आपूर्ति के घंटे कम निर्धारित कर सकता है।

भारत सरकार वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से वर्तमान में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण यूटिलिटी को वितरण अवसंरचना के उन्नयन कार्यों जैसे नए सबस्टेशनों का निर्माण, सबस्टेशनों और वितरण ट्रांसफॉर्मरों का उन्नयन/क्षमता वृद्धि, कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, नई एचटी/एलटी लाइनें बिछाना, फीडर विभाजन, फीडर पृथक्करण आदि के लिए वित्तीय सहायता की जा रही है। ये कार्य राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत, वितरण अवसंरचना कार्यों सहित स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के लिए 40,739 करोड़ रुपये के कार्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य ने अपनी व्यवसाय योजना के अंतर्गत विभिन्न वितरण अवसंरचना कार्य किए हैं ताकि वोल्टेज समस्याओं का समाधान किया जा सके, और उनके विवरण **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत विवरण

1. देवरिया जिला

क्र.सं	विवरण	परियोजना लागत
1	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	246.21
2	हानि में कमी के कार्य	162.72
कुल		408.93

हानि में कमी के कार्य

क्र.सं	विवरण	इकाई	संस्वीकृत परिमाण
1	हाई टेंशन (एचटी) लाइन	सीकेएम	555.72
2	लो टेंशन (एलटी) लाइन	सीकेएम	1,696.80
3	नए डीटी	संख्या	142
4	विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत घर	संख्या	3,829

2. बलिया जिला

क्र.सं	विवरण	परियोजना लागत
1	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	199.9
2	हानि में कमी के कार्य	299.23
कुल		499.13

हानि में कमी के कार्य

क्र.सं	विवरण	इकाई	संस्वीकृत परिमाण
1	हाई टेंशन (एचटी) लाइन	सीकेएम	787.35
2	लो टेंशन (एलटी) लाइन	सीकेएम	3,441
3	नए डीटी	संख्या	109
4	विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत घर	संख्या	1,942

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की व्यवसाय योजना के तहत स्वीकृत विवरण

देवरिया जिला	167 नए वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना 1140 वितरण ट्रांसफार्मरों का संवर्धन 11 केवी फीडर विभाजन के 9 कार्य 11 केवी लाइन के 28 री-कंडक्टिंग कार्य
बलिया जिला	72 बस्तियों में बांस के खंभे हटाना 1535 वितरण ट्रांसफार्मरों का संवर्धन 93 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना 11 केवी फीडर विभाजन के 40 कार्य 11 केवी लाइन के 18 री-कंडक्टिंग कार्य
